मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं के प्राचार्यों के लिये संस्थागत आयोजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

बी. टी. आई., कांकेर (बस्तर)
(सितम्बर, १०–२०, १९८५)

प्रतिवेदन

5432
379.5
RAS-P

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
१७ – बी, श्री अरविन्द मार्ग
नई दिल्ली – ११००१६

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning & Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4203
Date 19/5/88

भाग- I - सामान्य

भाग- II- शैक्षिक प्रतिवेदन

भाग- III- प्रतिभागियों के लेख

भाग- IV- संस्थागत नियोजित एवं संस्थागत मूल्यांकन के आधार का प्रारूप

भाग- V- संलग्निकाएं

भाग - I

सा मा न्य

मध्य प्रदेश के आदिमजाति कल्याण विभाग की शालाओं के प्राचार्यों के लिये शाला संचालन आयोजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, कांकेर, जिला-बस्तर (सितंबर १०--२०, १९८५)

भूमिका:- प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये नीति निर्धारण करना व नीति को कार्यान्वित करने के लिये योजना बनाना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा की प्रगति व विकास के लिये नीति निर्धारण व उसके अनुरूप योजनाएं बनाना अति आवश्यक है। अधिकांशतः ऐसा पाया गया है कि नीति तो बहुत अच्छी बना ली जाती है पर योजनाएं बनाते समय उस नीति को नजर अंदाज कर दिया जाता है या फिर उसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१९६८) इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। हम आज भी इस नीति के कई पहलुओं को क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं। इसका कारण नीति के अनुरूप योजनाओं का अभाव है।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं योजना अपरिहार्य है। एक गणतन्त्र देश में राष्ट्रीय, राज्यीय, क्षेत्रीय, जनपद एवं संस्था के स्तरों पर योजना बनाना अति आवश्यक है। संस्थागत योजना का अपना ही महत्व है। संस्थागत योजनाओं के लक्ष्यों व संसाधनों को दृष्टि में रखकर बनाई जाती है। इसमें संसाधनों व विद्यालय के समय का अधिकतम उपयोग पर विशेष जोर दिया जाता। सबसे अधिक संस्थागत योजना सहयोग की भावना बढ़ाती है। इन सब कारणों की वजह से संस्थागत योजना का क्रियान्वित होना अधिक संभव है।

आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत योजना का अपना महत्व है क्योंकि आदिवासियों की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा के सही व तीव्र विकास में संस्थागत योजना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं के लिये ग्यारह दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग के सौजन्य से किया।

<u>मुख्य उद्देश्य :-</u>

इस गोष्ठी के मुख्य उद्देश्य थे :

- प्राचार्यों को राष्ट्र विकास व नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के महत्व से अवगत कराना
- मध्य प्रदेश में जनजाति शिक्षा के स्तर को उठाने में मुख्य समस्याओं का विवेचन
- प्राचार्यों को संस्थागत आयोजन एवं प्रबन्ध का शालाओं के सुचारु रुप से चलाने में उपयोगिता से परिचित कराना
- प्राचार्यों को संस्थागत योजना की विभिन्न प्रक्रियाओं से परिचित कराना
- प्राचार्यों को शाला के स्व-मूल्यांकन की विधि से परिचित कराना व स्व-मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में सहायता देना ।
- जनजाति संस्थाओं के प्रबन्ध से संबंधित कुछ विशेष मुद्दे जैसे कि-- विद्यार्थी सेवाओं का प्रबन्ध, होस्टल का प्रबन्ध आदि का विवेचन

<u>पाठ्यक्रम:-</u>

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निम्न विषयों का चयन किया गया :

- नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जनजाति शिक्षा का महत्व
- शिक्षा में समता
- जनजाति कल्याण विभाग द्वारा दी गई सुविधाएं
- संस्थागत योजना महत्व, व क्षेत्र
- संस्थागत योजना प्रक्रिया
- शालाओं का स्व-मूल्यांकन : महत्व व विधि
- विद्यार्थी सेवाओं व सुविधाओं का प्रबन्ध
- जनजाति होस्टलों का प्रबन्ध
- [illegible]
- शिक्षा क्षेत्र में समाज का भागीकरण (कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन)
- नई शिक्षा नीति : महत्व पूर्ण मुद्दे

कार्यक्रम की अवधि :-

प्रशिक्षण कार्यक्रम १० सितम्बर से प्रारंभ होकर २० सितम्बर तक चला । कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्निका १ में प्रदर्शित है ।

प्रशिक्षण विधि:-

प्रशिक्षण को पूरा लाभ पहुंचाने के लिये विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया गया । उदाहरणत: व्याख्यान चर्चाएं सामुहिक विवाद एवं अभ्यास कार्य ।

पठन सामग्री:-

प्रशिक्षण को सुलभ बनाने के लिये निम्नलिखित पर्च प्राचार्यों को उपलब्ध कराये गये -

१-एजुकेशन आफ शिड्यूल्ड कास्ट एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स : कुसुम प्रेमी

२-स्पेशियल पैटर्न आफ ट्राइबल लिटरेसी इन इंडिया : मूनिस रजा, अजाज अहमद एवं शील चन्द नूना

३-पद्धति मूलक संस्थागत योजना : मनमोहन कपूर

४-संस्थागत मूल्यांकन : बसन्त कालपाण्डे

अतिथि शिक्षक :-

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली

१-डा० आर०पी० सिंह

२-डा० कुसुम प्रेमी

३-मनमोहन कपूर

४-डा० शील चन्द नूना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,भोपाल

डा०ए०बी०सक्सेना
शासकीय महाविद्यालय,कांकेर

डा०एस०आर०एन०द्विवेदी
आदिमजाति कल्याण विभाग,मध्य प्रदेश

श्री आर०सी० सक्सेना
बी०टी०आई० कांकेर

श्री के०के०शिशारिया

सहभागी :-

इस प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं के ६८ प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं ने भाग लिया । इनकी सूची संलग्निका २ में उपलब्ध है।

कार्यक्रम योजना समिति:-

प्रशिक्षण की रूपरेखा निम्न सदस्यों की समिति के मार्गदर्शन में बताई गई

१-डा०आर०पी०सिंघल,कार्यकारी निर्देशक,रा०शै०शो०और प्र०सं० नई दिल्ली
२-डा०वी०डी०शर्मा,वरिष्ठ अध्येता
३-श्री बसन्त कुमार पाण्डे,अध्येता
४-डा०कुसुम प्रेमी,अध्येता
५-डा०के०सुजाता,सह-अध्येता
६-डा०शील चन्द नुना,सह अध्येता
७-श्री हरलाल अनीस जैदी,वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रशिक्षण प्रबन्ध समिति :-

१-डा०कुसुम प्रेमी,कार्यक्रम निर्देशक
२-डा०शील चन्द नुना,कार्यक्रम सह-निर्देशक
३-डा०ए०बी०सक्सेना,कार्यक्रम समन्वयक

४-श्री के०के० रिछारिया, क्षेत्रीय समन्वयक
५-श्री एम०एल०ठाकुर, सहायक क्षेत्रीय समन्वयक

उद्घाटन समारोह :-

समारोह का उद्घाटन डा०व्दिवेदी प्राचार्य, डिग्री कालेज ने किया। डा०ए०बी०सक्सेना, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र ने स्वागत किया व डा०कुसुम प्रेमी, अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना व प्रशासन संस्थान नई दिल्ली ने कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु पर प्रकाश डाला। श्री के०के० रिछारिया प्राचार्य, बी०टी०आइ०कांकेर ने सभी धन्यवाद दिया।

दैनिक प्रतिवेदन :-

प्रत्येक चरण का दैनिक प्रतिवेदन अनुभाग दो में दिया गया है।

मूल्यांकन :-

प्रशिक्षण की प्राचार्यों द्वारा उपयोगिता एवं इसकी सफलता जानने के लिये कार्यक्रम के अन्तिम दिन प्रशिक्षणार्थियों ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया।

भाग - II

दैनिक - प्रतिवेदन

दिनांक - 10-9-85 उद्घाटन समारोह

समय - 11.30 - 13.00 बजे स्वागत - डा०एच०सी०सक्सेना

कार्य के - डा०कुसुम प्रेमी

मुख्य बिन्दु

मुख्य अतिथि- डा० एस. आर. एन. द्विवेदी

प्राचार्य, शा. महा. वि. कांकेर

आभार प्रदर्शन - श्री के०के०रिछारिया

डा. ए. बी. सक्सेना ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि ,

क्षेत्रीय सलाहाकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पहल पर आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए सत्र 1985-86 में पन्द्रह उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखे गए हैं । कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में इन विद्यालयों के पचास प्राचार्यों तथा उनके वरिष्ठ शिक्षक सहभागियों के लिए एक ग्यारह दिवसीय गोष्ठी का आयोजन 10 से 20 सितम्बर, 1985 तक शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, कांकेर, जिला बस्तर (म. प्र.) में किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत नियोजन के प्रति उनका उन्मुखीकरण करना हो । इस गोष्ठी का संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई-दिल्ली कर रहा है .

डा. ए. बी. सक्सेना, सहायक क्षेत्रीय सलाहकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ने गण्यमान अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस बात पर बल दिया कि प्राचार्य एवं शिक्षक स्थानीय साधनों का इस प्रकार दोहन करें जिससे कि कक्षागत ज्ञान-अर्जन की प्रक्रिया विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके तथा वे बढ़ते हुए ज्ञान के विस्फोट और तदानुसार परिवर्तनों के साथ

कदम मिला कर चल सकें । यहयतभी संभव है जबकि संस्थागत-नियोजन वास्तविकताओं पर आधारित हो तथा शैक्षिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए विविध शैक्षिक कार्यकलाप नियोजित रूप से करें जाय जिससे कि विद्यार्थियों में जागरूकता आवे और वे तदनुसार ज्ञान-अर्जन करें ।

डा. (श्रीमती) कुसुम प्रेमी, अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई-दिल्ली जो कि इस गोष्ठी के कार्यक्रम की निर्देशिका हैं, ने इस गोष्ठी के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित करे जो कि इस प्रकार है :

- प्राचार्यों को अन्तर्विषयी शिक्षा की समस्याओं से अवगत कराना ।
- प्राचार्यों को शाला आयोजना एवं प्रबंध तथा शाला सुचारूरूप से चलाने के महत्व की उपयोगिता से परिचित कराना ।
- शाला आयोजना के विभिन्न अंगों को समझ कर संस्थागत आयोजना तैयार करना ।
- शाला के स्वयं-मूल्यांकन की विधि का विकास करना ।

साथ में इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान तथा चर्चा के बिन्दुओं पर प्रकाश डाला । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सिद्धान्त एवं व्यवहार (प्रेक्टिस) में जितनी अधिक समरूपता होगी उतनी ही शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावकारी बनेगी ।

डा. त्रिवेदी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में शिक्षा के वर्तमान गिरते हुए स्तर पर चिंता व्यक्त की तथा डा. (श्रीमती) प्रेमी के विचारों की पुष्टी की । उन्होंने कहा कि विकास के युग में यह आवश्यक है कि प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को परिचित कराया जाय । प्रश्न यह है कि शालाओं की संख्या बढ़ती जा रही है । इन शैक्षिक संस्थाओं का गुणात्मक विकास कैसे हो ? "शिक्षा सभी के लिए " यह एक सामाजिक मांग है । प्रारंभिक स्तर से ही भाषा एवं गणित के अध्ययन पर बल दिया जाय जिससे कि विद्यार्थियों का बुनियादी आधार मजबूत हो सके ।

श्री के. के. रिछारिया, प्राचार्य, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, कांकेर ने आभार प्रदर्शित करते हुए आशा व्यक्त की कि जिस उद्देश्य के लिए प्राचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षा विदों का संगम यहां हुआ है, उस दिशा में निश्चित रूप से प्रगति होगी ।

दिनांक - 10-9-85 विषय - आदिवासी शिक्षा-प्रतिभागियों
समय - 14.30 से 19.00 के विचार

प्रतिभागियों ने आदिवासी शिक्षा की समस्याओं से विस्तार से चर्चा की प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आये ।

- बालकों की मानसिकता के स्तर से पाठ्यक्रम का निर्माण ।
- बोझिल पाठ्यक्रम ।
- एक ही पाठ्यक्रम कुछ विद्यालयों में प्रभावकारी है जबकि उसी क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में वह दुरूह बना हुआ है ।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा न होने के कारण वर्तमान पाठ्यक्रम शुरू से ही बोझिल है ।
- आदिवासी परिवार में शैक्षिक वातावरण का नितांत अभाव है ।
- शिक्षक की बढ़ती हुई जुम्मेदारियों के अनुरूप उनका उन्नयन नहीं होता है ।
- आदिवासी विद्यालयों के निरीक्षण तथा शैक्षिक मार्ग-दर्शन की कोई भी व्यवस्था नयी है ।
- निरीक्षक का यदाकदा कार्य ऐसी संस्थाएं (प्रशासनिक) करती हैं जिनका शिक्षा से कोई भी सरोकार नहीं है ।
- प्राचार्य की शैक्षिक नियोजन में हिस्सेदारी नहीं के बराबर है । उसके विवेक तथा डिस्क्रेशन को उसमें स्थान नहीं दिया जाता है ।
- इस उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किस शैक्षिक योग्यता में शिक्षक प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में रखे जॉय ? इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या दस गुनी हो गई है पर शिक्षक दस साल पहले जितने थे, उतने आज भी हैं ।
- शिक्षकों के उन्मुखीकरण के कार्यक्रम न के बराबर है ।

- बजट के प्रावधान में इतने सीमित एवं कम हैं कि शैक्षिक कार्यकलाप तक नहीं चल पाते हैं ।
- शिक्षक की पूर्ति ऐसे शिक्षकों से की जाती हैं जो कि वे वांछित विषय में शून्य शून्य हैं ।
- आबंटित बजट भी प्राचार्यों को इतनी देरी और उलझन से मिलता है कि शैक्षिक कार्य प्रायः ठप्प रहते हैं ।
- छात्रावासों का प्रबंध एवं संचालन में इतनी विसंगतियाँ हैं कि इससे विद्यालय का वातावरण बिगड़ता है ।
- आदिम जाति कल्याण विभाग का अपना कोई शैक्षिक ढांचा नहीं है जो कि उसके अन्तर्गत कार्यरत शालाओं का समुचित नहीं है जो उसके अन्तर्गत कार्यरत शालाओं का समुचित विकास कर सके ।
- शिक्षक और विद्यार्थियों का क्या अनुपात इन विद्यालयों में हो ? तय नहीं है ।
- शिक्षकों तथा प्राचार्यों के उन्मुखीकरण में कार्यक्रम छुट्टियों में न होने से पढ़ाई में बाधा पड़ती है ।
- क्रिया-कलाप निधि भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और न समय पर उसका आबंटन सुलभ होता है ।
- बुक-बैंक योजना भी वित्तीय सीमाओं के कारण प्रायः ठप्प है ।
- गुरूकुल विद्यालयकी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापना की गई थी , वह उससे दूर होता जा रहा है क्योंकि उसकी नितांत [illegible] आवश्यकताओं पर भी निर्णय नहीं मिलते हैं ।
- आवासीय शाला के अध्यापकों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ।
- केन्द्रीय-खरीदी में विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं नहीं मिलती, अपितु वे चीजें दी जाती हैं जिनको रखना भी एक समस्या है ।

- विज्ञान-शिक्षण में प्रयोग के लिए सामान तथा साधन की कमी है ।
- खेलकूद-परिसर योजना भी साधनों की कमी के कारण कागजों पर ही चल रही है ।
- 10 + 2 शिक्षा पद्धति सभी विद्यालयों में है पर उसके अनुसार शिक्षकों का प्रावधान अभी तक नहीं हुआ है ।
- शारीरिक शिक्षा तथा समाजोपयोगी उद्यम की शिक्षा भी न के बराबर है ।
- स्कूल कम्प्लेक्स योजना (शाला परिसर योजना) भी यथार्थ से परे है ।
- औपचारिकेतर शिक्षा द्वारा शिक्षा का लोकव्यापीकरण से आदिवासी बच्चों का कोई सरोकार नहीं है ।
- विद्यालय इतने असाकर्षक तथा जर्जर अवस्था में हैं कि उनसे आदिम जाति के बच्चों का भला संभव नहीं है ।
- मिशन स्कूलों तथा ट्राइबल स्कूलों के स्तर में इतना अंतर है कि इससे अनेक प्रश्न (शैक्षिक) उठ खड़े हुए हैं ।
- प्रत्येक विद्यालय में मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाय

न न कि उस समय ही दी जाय जब वे आदर्श विद्यालय में पढ़ने जावें ।

- इन विद्यालयों में 10 + 2 के लिए क्या प्रावधान होने की संभावनाएं हैं की कोई जानकारी अभी तक नहीं है ।
- वन मंडलाधिकारी आदिवासी विद्यार्थियों को जंगल में ले जाकर विशिष्ट ज्ञान देंगें, की क्या योजना है ? कैसे चलेगी ? पढ़ाई
- के साथ उसका कैसे निर्वाह होगा ? आदि प्रश्न अभी की स्पष्ट नहीं हैं ।
- आदिवासी शिक्षा में प्रयोग तथा अनुसंधान का इन विद्यालयों में कोई प्रावधान नहीं है और न ही शिक्षकों को इस दृष्टि से कोई मार्ग-दर्शन नहीं दिया जाता है ।

उक्त समस्याओं की चर्चा के दौरान श्री सामन्तरे अपर जिलाधीश ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग में शिक्षण का संचालन हेा जो कि आदिवासी बच्चों के शिक्षण के लिए कार्य करे । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का नियोजन निचले स्तर से उसकी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय समितियों द्वारा किया जाय जिससे कि शिक्षा विद्यालयों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके आपने कहा कि प्रजातान्त्रिक समाज संरचना के अन्तर्गत ही हमें अपनी समस्याओं का हल खोजना है तथा उन्हें ऐसा रूप देना है जिससे कि शैक्षिक संस्थाएं अधिक प्रभावी बन सकें ।

अंत में श्रीमती प्रेमी ने समापन करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान सभी प्रतिभागी आपस बैठ कर करेंगें । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रति प्रतिभागियों को यह समझ लेना आवश्यक है कि सभी समस्याओं को पूर्ण रूप से निदान संभव नहीं वस्तुतः एक समस्या के समाधान के साथ हमें दो अन्य समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस दिन सब समस्याएं समाप्त हो जायेगी उस दिन फिर शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी, शिक्षा का मुख उद्देश्य प्रयोग है और प्रयोग करने में समस्याएं आना स्वभाविक है । अंत में उन्होंने मुख्य अतिथि व प्रतिभागियों को गोष्ठी सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया ।

दिनांक:- ११-९-८५ विषय:- नई शिक्षा नीति: प्रमुख बिन्दु

समय:- ११-००---१३-०० वक्ता :-शील चन्द तुना

प्रतिवेदन:- डी०एस०उपाध्याय

सी०एस०चतुर्वेदी

इस चरण के वक्ता डा०शील चन्द तुना ने इस व्याख्यान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान स्थिति में जबकि नई शिक्षा नीति पर विचार हो रहा है : यह आवश्यक है कि कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाय ताकि इस प्रशिक्षण के कार्यकाल में जो बहस हो वो इन मुख्य बिन्दुओं को नजर अंदाज न करे । नई शिक्षा नीति की आवश्यकता बताते हुए कहा कि समाज की आवश्यकताएं तथा तकनीकी विकास स्थिर नहीं हैं । वो समय के साथ विकास--शील एवं परिवर्तनशील हैं । अगर शिक्षा समाज का अंग है तथा शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति है तो शिक्षा को अपने आप को समाज एवं तकनीकी के अनुकूल बनाना होगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१९६८) का संदर्भ देते हुए डा० तुना ने बताया कि यह नीति अपने आप में एक मिसाल है तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी, परन्तु इसके कई बिन्दु ऐसे हैं जिन पर आशा के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं हो सका । अत: इस समय जहां एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है वहीं इसके क्रियान्वयन पर जोर डालना आवश्यक है ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस दिशा में पहल का वर्णन देते हुए डा०तुना ने कहा कि मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के आधार पर एक " स्टेटस पेपर " तैयार किया है जिसे " चेलेंज आफ एजूकेशन " की संज्ञा दी गई है । समाज के विभिन्न वर्गों को नई नीति में भागीदार बनाने हेतु इस पेपर पर पूरे देश में बहस की योजना है ताकि नई शिक्षा नीति विभिन्न वर्गों के विचारों को ध्यान में रख सके । इस पेपर के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इसके मुख्य भाग इस प्रकार हैं :-

-शिक्षा में विकास का विवेचनात्मक विश्लेषण

-नई शिक्षा नीति के लिये प्रमुख बिन्दु

-क्रियान्वयन के उपाय

अपना विकास कर सकें । इस बैठक में प्राचार्यों की आम राय यह रही है कि जो छात्र आदर्श विद्यालय में प्रवेश लेना चाहें उन्हें प्रवेश दिया जाय तथा जिनकी आर्थिक स्थिति उस स्तर की न हो या अन्य पारिवारिक कारण हों उन्हें उसी विद्यालय में जिसमें वे अध्ययनरत हैं शिक्षा को जारी रखने का अधिकार एवं उसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जावे । विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश स्तर पर ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाय जो एक जैसी हो और उसी आधार पर प्रवेश दिया जाय । अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के अनुरुप शिक्षा सोपान का भी गठन किया जाय ताकि योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र की ओर आकृष्ट हों ।

व्यवसायिक शिक्षा की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता ,सामाजिक उपादेयता की दृष्टि से इसको अपनाया जाना चाहिये ।

विकास और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाना शिक्षा के उन्नयन में अत्यन्त सहायक होगा ।

बिना किसी भेदभाव के छात्र-छात्राओं को समान रुप से अवसर प्रदान किया जाय । अध्ययन एवं अध्यापन कार्य वहां की स्थानीय भाषा में किया जाना प्रभाव--शील होगा,परन्तु यह प्राथमिक स्तर तक ही सीमित हो । १० -+ २ योजना पूरे राष्ट्र में लागू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है,छात्रों की प्रगति के आंकलन हेतु सतत् मूल्यांकन एवं वार्षिक जांच परीक्षा को आधार माना जाय,परन्तु केवल वार्षिक परीक्षा को ही आधार न माना जाय ।

सम्पूर्ण देश में शिक्षा का नियोजन तथा प्रबन्ध एक जैसा हो तो श्रेष्ठ रहेगा । सांख्यिकी संकलन का आधार वैज्ञानिक प्रणाली से हो ताकि उसकी वैधता बनी रहे ।

शिक्षा की संरचना निम्न बिन्दुओं पर आधारित होना चाहिये :-
(१)विकेन्द्रीकरण (२)समन्वीकरण (३)सम्बन्धीकरण एवं योजना (४)सामुदायिक सहयोग ।

प्राचार्यों की राय में साक्षरता के प्रचार-प्रसार तथा उसकी देखरेख के लिये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर किया जाना अधिक उपयुक्त होगा और नवीन शिक्षा प्रणाली का सही क्रियान्वन संभव हो पायेगा ।

-शिक्षा का प्रबंध एवं योजना

-शिक्षा में परिवर्तन की दिशा में अवरोध

इन बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए डा०नुना ने बताया कि जहां एक ओर शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर बल दिया गया है वहीं दूसरी ओर शिक्षा के व्यवसायीकरण एवं गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा की समस्याओं का जिक्र करते हुए वक्ता ने बताया कि शासन इस दिशा में प्रयत्नशील है उच्च शिक्षा को अधिक सार्थक बनाया जा सके।

विकेन्द्रीकरण एवं सामाजिक सहभागिता वो दो बिन्दु हैं जिन पर जोर दिया जा रहा है ताकि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक तरह से हो सके।

प्राचार्यों ने बहस में हिस्से भाग लेते हुए इस बात पर बल दिया कि समाज की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्र जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। शिक्षा प्रणाली में गणित, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि वर्तमान शिक्षण प्रणाली छात्र की जीवनो-पयोगी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।

प्राचार्यों ने कहा कि जैसा कि शासन चाहता है कि १९९० तक नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सभी बच्चों को साक्षर कर दिया जाय, परन्तु हमारी शिक्षा नीति वर्तमान संदर्भ में न तो गतिशील कही जा सकती है न तो उपयुक्त। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विषय में यह शासन की नीति है कि ६ वर्ष से ११ वर्ष की आयु के सभी बालकों का प्रवेश संस्था हो एवं उन्हें कक्षा पांचवीं तक हर स्थिति में कक्षा में रखा जाय किन्तु ७२ बालक ऐसे हैं जो संस्था से बाहर हो जाते हैं। संविधान के निर्माण के समय जो प्रमुख मुद्दे उठाये गये थे उन संकल्पों को सही ढंग से आज तक पूरा नहीं किया जा सका है।

वर्तमान परिदृश्य में पाठ्यक्रम निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अनुकूल किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। व्यवसायीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये जो हारिजेण्टल तथा वर्टिकल हो ताकि व्यवसायिक प्रगतिशीलता बनी रहे। प्रतिभाओं का विकास आदर्श विद्यालयों में ही अधिक संभव है। आदर्श विद्यालय के अनुरूप उसी क्षेत्र में स्थित अन्य विद्यालय भी आदर्श विद्यालय का अनुकरण कर

दिनांक - 11-9-85 विषय:- शिक्षा में समता

समय - 13.30 - 15.00 वक्ता:- डा. (श्रीमती) कुसुम प्रेमी

प्रतिवेदन:- कु. प्रभा जोशी

श्री आर. जी. एस. चौहान

श्रीमती प्रेमजी अपना व्याख्यान निम्न लिखित प्रसंगों पर प्रकाश डालकर चालू किया :-

(1) शिक्षा में समता क्यों ?

(2) शिक्षा में समता से क्या तात्पर्य ?

(3) शिक्षा से क्या सामाजिक समानता लाई जा सकती है ?

(4) भारतीय समाज में असमानता के मूल आधार भूत कुछ कारण ?

(5) शिक्षा में असमानता कहां किस रूप में है ?

स्वतंत्र देश का संविधान जब 1950 में लागू किया गया, तब से हम गणतंत्र देश के संविधान की धारा 45 तथा 46 के अनुसार सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं । हमारे नीति-निर्देशक तत्वों में धारा 45 के अनुसार शिक्षा का लोक-व्यापीकरण किया जाना है, वहीं दूसरी ओर धारा 46 के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा जातियों को आगे लाने का प्रयास करना है । इस संबंध में राज्य-सरकारों को भी निर्देश दिये गए हैं । अभी वर्तमान में 6 ठी पंचवर्षीय योजना में भी इस बिन्दु को पुनः उसी रूप में संविधान की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है ।

पिछड़ी जातियों व वर्गों में इस बार भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी दृष्टि से कमजोर वर्ग को ही शामिल किया गया है, जिसमें हरिजन-आदिवासी समाज मुख्य हैं । इस आरक्षित वर्ग के आरक्षण पर देश-व्यापी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आर्थिक आधार की मांग की जाती है, किन्तु जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रवेश-आधार में एक आधार

आर्थिक बनाया गया था तो अनुभव में आया कि आर्थिक आधार में भी निजी-व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों की आय का कोई प्रामाणिक आधार पाना संभव नहीं है । इसमें भी प्रायः वेतन भोगी वर्ग, चाहे वह शासकीय हो या प्राइवेट सेक्टर-ही पिट जाता है । अतः यह आरक्षण यथावत 6 ठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करते हुए इस वर्ग के विकास पर पूरा ध्यान देने का प्रावधान है ।

जब हम शिक्षा में समता की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उस विषमता को दूर करने से है जो प्रकृति द्वारा निर्मित न होकर मनुष्य कृत या सामाजिक आधारों पर थोपी गई होती है । यहां विषमता और असमानता दो शब्द भिन्न अर्थ देते हैं - विषमताओं को समाज व परम्पराएं जन्म देती है, जब कि असमानता होना या वैविध्य का होना एक प्रकृति-गत सत्य है । अतः "शिक्षा में समता" का मुख्य अर्थ व मूल उद्देश्य यही है कि सामाजिक एवं आर्थिक आधारों पर उत्पन्न विषमता को पाटने के लिए समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो । "शिक्षा में समता" लाने के लिए जहां एक ओर सभी को शिक्षा का समान अवसर दे कर विकास की दिशा देना है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा को काय कार्य से जोड़ना है क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप "ज्ञान को कार्य से " तथा शिक्षा को प्रायोगिक उद्योग से संयुक्त करना आवश्यक हो गया । इस दिशा में सर्वप्रथम अमेरिका ने सोचा व प्रयोग किया ।

"शिक्षा में समता" लाने के तीन मुख्य बिन्दु हैं - §।§ सबको शिक्षा का समान अवसर देना - इसके लिए प्राथमिक से लगाकर हा.से. तक शालाओं का जाल बिछा देना §।।§ शालाओं की शिक्षण की समस्त सुविधाएं जुटा देना ।

§।।।§ शालाओं के खोलने तथा संचालित होने पर समान परिणाम निकाल पाना-। उपर्युक्त तीन में से दो बिन्दुओं के फलस्वरूप तीसरा बिन्दु तभी सफल परिणाम दायी होगा जब हम आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पीछे रहने वाले वर्ग को कुछ ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करायें जिससे वे समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में आ जायें ।

हमारे भारतीय समाज में शिक्षा में असमता या विषमता के कुछ मूलभूत कारण या आधार प्रचलित हैं -

§।§ लड़के तथा लड़की का अन्तर भी शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बाधा बनता है ।

§2§ आवासीय क्षेत्र - जैसे ग्रामीण, नगरीय या आदिवासी अंचल में निवास करने-से भी शैक्षिक अवसरों में कमी-बेसी होती है ।

§3§ कभी राज्यों की विकास-नीति के कारण कुछ क्षेत्र ज्यादा शिक्षा-सुविधा के होते हैं और कुछ पिछड़े जाते हैं । जैसे मध्यप्रदेश भारत का हृदय-प्रदेश होकर भी अंग्रेजों के जमाने से उनकी व्यापार-नीति के कारण शैक्षणिक विकास सुविधा केन्द्र न बना ।

§4§ जाति-वाद के आधार पर भी कालान्तर में शिक्षा-सुविधा से वंचित होना पड़ा ।

§5§ पारिवारिक परिवेश ।

§6§ हरिजन आदिवासी तथा गैर-आदिवासी के अन्तर ने भी शिक्षा में असमता उत्पन्न की है । जब हम इस बिन्दु पर व्यापक क्षेत्र में स्कूल की दूरी बच्चे के लिए कीलोमीटर्स में होती है, जब कि गैर-आदिवासी बालक के लिए वह दूरी सुलभ तथा पैदल चल कर पहुँच वाली होती है ।

§।।।§ इस क्षेत्र में दूसरा अंतर दर्ज संख्या का होता है । जो गैर-आदिवासी शालाएं या पब्लिक स्कूल होते हैं- वे सर्वसुविधा युक्त तथा "ए"

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B.Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No....4203
Date...19/5/88

ग्रेडके होते हैं, जब कि आदिवासी-स्कूल सामान्य और अ -- पाये जाते हैं - । एक प्रकार से इस पिछड़े तबके लिए शालाएं भी अपूर्ण तथा अनाकर्षक भी होने से "शिक्षा में असमता" - का स्वरूप उजागर हो जाता हैं ।

अतः "शिक्षा में समता" लाने का हमारा जो वादा संविधान द्वारा किया गया है, उसे पूर्ण करने के लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना तथा सबकी बराबरी में लाना जरूरी है । इस मार्ग में आदिवासी शिक्षा में जो बाधाएं हैं उन्हें भी विचारना होगा ।
मुख्य बाधाएं निम्न हैं :-

(1) भौगोलिक स्थितियां - जो बाधक बनती हैं -
(जन-जातियों का घने जंगलों व पर्वतों में रहना)

(2) आर्थिक पिछड़ापन - जिसके फलस्वरूप जन-जाति अभी ज्ञानार्जन की प्रथम सीढ़ी पर है ।

(3) मनोवैज्ञानिक रूप से एकांत वासी रहने के आदी होने पर, एक भय या आतंक का भाव-समाज के अन्य वर्गों से मिलते समय होना ।

(4) आदिवासी की आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम का न होना ।

(5) भाषा एवं परस्पर संवाद (   ) की समस्या ।

(6) लगनशील, सेवा भावी, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान शिक्षकों की कमी ।

उपर्युक्त विषय पर प्राचार्यों द्वारा निम्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए:-

(1) श्री वैद्य - प्राचार्य फरसगांव (आदर्श) ने कहा कि शिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रतिपूर्ति की जावे ताकि वे समर्पित हो सके ।

(2) श्री बी.डी.उपाध्याय - उप प्राचार्य-फरसगांव-आदिवासी जीवन और संस्कृति को प्रस्तुत शिक्षा के साथ समायोजित करना चाहिए-जैसे उनके "घोटुल" आदि कार्यक्रम ताकि वे एकदम नवीनतम जीवन पद्धति से भय न खाये और धीरे-धीरे समरस होते जाये ।

§3§ डा. रैना, प्राचार्य धामनोद ने कहा कि यदि मिशन स्कूलों के सामने आदिवासी-आश्रम शालाओं को सफल बनाना है तो हमारे साधन, सुविधा, अधिक सम्पन्न, आकर्षक तथा सेवा भावी होना चाहिये ।

§4§ श्री माखनसिंह प्राचार्य कालपी ने कहा कि -आश्रम तथा छात्रावास ... अधीक्षक के पद पर जिम्मेदार, बालकों की विशेष देखरेख को महत्व ... देने वाला व्यक्ति रखा जावे, मात्र अधिकारियों को खुश रखने वाला शिक्षक नहीं ।

§5§ श्री आर. जी. एस. चौहान प्राचार्य, गुरुकुल पेन्ड्रा ने आदिवासी की भाषा - समस्या के बारे में सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक ऐसे रखे जायें जो बालक की भाषा के जानने वाला हो तथा वह उन्हें उसके माध्यम से पाठ्यवस्तु समझा सके ।

दिनांक – ११-६-८५

समय:– १५-३०—१७-००

विषय:– शिक्षा के विकास में आदिमजाति कल्याण विभाग की भूमिका

वक्ता:– श्री आर०सी०सक्सेना

प्रतिवेदनक– शशि गुप्ता
के०एन०त्रिपाठी

किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिये उसके प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक दायित्व होता है। जिस प्रकार शरीर के एक अंग विशेष की शिथिलता पूरे शरीर को प्रभावित करती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के एक अंश को सुध बुध रहे बिना सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती।

हमारे देश में लगभग एक तिहाई जनसंख्या आदिमजाति एवं आदिम जनजाति–यों की है जो सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देश की मुख्य धारा से पृथक थी। देश की स्वतन्त्रता के साथ ही हमारे जन नायकों ने इस बात को पहचाना एवं संविधान निर्माताओं ने सभ्यता के प्रकाश से अछूती जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि समाज के पिछड़े वर्गों की प्रगति सुनिश्चित करना राष्ट्र का पवित्र दायित्व है।

मध्य प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में जन जातियों का घनत्व अधिक है। मध्य प्रदेश शासन ने इन जन जातियों के सम्यक विकास के लिये अपने अन्तर्गत आदिमजाति कल्याण मन्त्रालय की व्यवस्था की जिसकी देखरेख में आदिमजाति कल्याण विभाग जनजातियों के उत्थान के लिये पालक की भूमिका निभा रहा है।

किसी भी राष्ट्र, समाज या जाति विशेष की प्रगति की कुंजी शिक्षा है। शिक्षा का विकास प्रगति के अवरोधों को हटाने का प्रयास स्वयं करने लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जनजाति बहुल क्षेत्रों में वर्तमान में हायर सेकण्डरी स्तर तक की शिक्षा का संचालन आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन ने पूर्व में श्री आर०पी०नरोना की अध्यक्षता में आ०जा०

कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया था । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आ.जा.क. विभाग द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान किया जा रहा है तथा सिफारिस की कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार हेतु अधिक से अधिक विद्यालयों को आ.जा.क. विभाग को सौंप दिया जाय ।

वर्तमान में शिक्षा के प्रचार, प्रसार एवं लोक व्यापीकरण हेतु आ.जा.क. विभाग द्वारा लगभग 2100 प्राथमिक, 3000 पूर्व माध्यमिक एवं 495 उ.मा.शालाओं का संचालन किया जा रहा है । इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभाग द्वारा आंगन बाड़ियों की स्थापना की गयी है । शिक्षा के द्रुत प्रसार को ध्यान में रखते हुए आ.जा.क. विभाग ने यह रणनीति अपनायी है कि आदिम जाति के बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के लिए 5 कि.मी.से अधिक न चलना पड़े तथा हर ऐसे गांव में प्राथमिक शाला खोली जाय जिसकी आबादी 200 से अधिक हो । पूर्व माध्यमिक शाला के लिए 8 कि.मी.से अधिक न चलना पड़े साथ ही यह ध्यान रखा गया है कि इस शाला से 5 प्राथमिक शालाएं जुड़ सकें । 20 कि.मी.की परिधि में एक उ.मा.शाला खोलने की व्यवस्था मान्य की गयी है । जिससे 5 पूर्व माध्यमिक शालाएं सम्बद्ध हो सकें ।

आदिम जन जातियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पालक की दृष्टि से दूर करने की व्यवस्था कर ली गयी है । कक्षा एक से तीसरी कक्षा तक के आदिवासी छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय एवं कक्षा तीसरी से ग्यारहवी तक बुक बैंक योजना के माध्यम से पुस्तकें प्रदाय की जाती है । पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तक छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की भी व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है । अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित शालाओं में आदिवासी एवं हरिजन छात्रों के शिक्षण शुल्क की प्रति-पूर्ति आ.जा.क. विभाग द्वारा दी जाती है ।

आदिम जाति एवं हरिजन छात्रों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्तियां दी जाती है । आदिवासी एवं हरिजन छात्रों की सुविधा के लिये जहां बैंक है वहां छात्रवृत्ति बैंकों के माध्यम से भुगतान की जाती है । जहां बैंक नहीं है वहां पर चार किस्तों में प्राचीन पद्धति से नगद भुगतान किया जाता है । इसके अतिरिक्त आदिवासी एवं हरिजन छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये , प्रावीण्य छात्रवृत्ति के रूप में प्रदेश में 930 छात्रों को 50/- प्रतिमाह देने के लिए प्रावधान भी किया गया है । ऐसे विशेष पिछड़े क्षेत्र जहां साक्षरता प्रतिशत 5 से कम है, वहां शिक्षा की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से विशेष छात्रवृत्तियां दी जाती है ।

आवासीय सुविधा देने एवं शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिये विभाग ने दो प्रकार के छात्रावासों की व्यवस्था की है । प्रीमेट्रिक छात्रावास एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रावास । इसके अतिरिक्त आन्तरिक क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की सुविधा विभाग द्वारा की गई है । इन आश्रमों में बालकों को 75.00रू. एवं बालिकाओं को 85.00रू. शिष्यवृत्ति दी जाती है ।

इसके अतिरिक्त प्रतिभावान आदिवासी छात्र-छात्राओं की प्रतिभा के विकास के लिये कुछ विशिष्ट प्रकार की शालाओं की स्थापना की गई है, जिनमें कन्या परिसर, आदर्श अ. मा. विद्यालय तथा गुरूकुल है ।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ी छात्रों के विकास के लिये प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के छात्रा/छात्राओं के लिये खेल परिसरों की स्थापन की गई है । वर्तमान में 222 क्रीड़ा परिसर संचालित है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश हेतु विशेष पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था 5 शालाओं में उपलब्ध है । एवं पी.ई.ए.टी. पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इन वर्गों के छात्रों हेतु की गयी है । माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की पूरी परीक्षा शुल्क आदिवासी एवं हरिजन विभाग द्वारा दी जाती है ।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्र कल्याण योजना भी चलायी जा रही है । यदि आदिवासी या हरिजन छात्र किसी विशेष रोग से पीड़ित है तो

डाक्टर के परामर्श पर 50=00रू. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । आदिवासी अंचल में लोक नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष कार्यक्रमों में दक्षता रखने वालों को 200.00रू. की धन राशि दी जाती है ।

शिक्षकों का प्रशिक्षण - आ.जा.क. विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अध्यापन की वैज्ञानिक आधुनिक प्रणालियों से अवगत कराकर उनके व्यावसायिक कौशल के समुन्नयन के लिये उन्हें प्रशिक्षणों में भेजने की व्यवस्था की गयी है । एम.एड.प्रशिक्षण में 15 शिक्षक एवं प्राचार्य, बी.एड. में 300 शिक्षक एवं प्राचार्य, डी.पी.एड. में 50 शिक्षक शिक्षिकाएं (35 शिक्षक 15 शिक्षिकाएं) ... प्राथमिक एवं पूर्वमाध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों हेतु 5 बी.टी.आई. विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । खेलों के उन्नयन के लिये व्यायाम शिक्षकों को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में विशेष प्रशिक्षण हेतु भेजने की व्यवस्था है ।

चिकित्सा पशु चिकित्सा, कृषि तथा इंजिनियरिंग में प्रवेश के लिये विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था है तथा इनके लिये छात्रों के लिए विभाग द्वारा कई छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ।

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा, अखिल भारतीय तथा राजकीय सेवाओं के पूर्व प्रशिक्षण हेतु भोपाल और रायपुर में दो प्रशिक्षण केन्द्र विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ।

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले जिन छात्रों को पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में प्रवेश उपलब्ध नहीं हो पाता उनके लिए छात्र आवास गृह योजना विभाग द्वारा लागू की गयी है जिसके माध्यम से छात्रों को आवास सुविधा एवं नैमितिक व्यय हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

आदिवासी छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा आई.टी.आई. एवं टी.सी.पी. प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है जिनमें छात्रों को निःशुल्क आवास व्यवस्था के साथ शिष्यवृत्ति भी उपलब्ध करायी जाती है ।

आदिवासी बोलियों के माध्यम से शिक्षा देने की महत्वाकांक्षी योजना भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है जिसमें पांच विशेष बोलियों की 20 शालाएं चयनित की जा कर शिक्षा दी जा रही है ।

आदिम जन जातियों के आर्थिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा आदिवासियों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की है । जिनमें मुख्यतः राहत योजना, मकान हेतु भूखिण्ड उपलब्ध कराना तथा मकान बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराना, ब्याज रहित ऋण का प्रदाय, गृह निर्माण हेतु विशेष अनुदान, रोजगार दिलाने हेतु तत्सम्बन्धी मार्ग दर्शन हेतु सात रोजगार दफ्तर, दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमें की पैरवी के लिए इन वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, आई. टी. डी. एस. योजना, आदिवासी सेवा दल तथा आई. आर. डी. पी. ट्राइसेन आदि योजनाएं संचालित की जा रही है ।

आदिवासी समाज में उनके बच्चे भी उनके कार्य में हाथ बटाते हैं । इस कारण कभी-कभी बच्चों की शिक्षा में अड़चनें उपस्थित होती हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग में यह बात विचाराधीन है कि जिन आदिवासी परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जावे ।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लक्ष्य आदिवासी छात्र छात्राओं की शिक्षा में आने वाली अड़चनों को रोकने की कारगर मोर्चे बन्दी ही नहीं वरन् सारी योजनायें का लक्ष्य विभागीय आदर्श " कल्याणार्थ समर्पित सेवा" के अनुरूप आदिम जाति एवं जन जाति वर्ग के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पालक की भूमिका का उत्तर दायित्व निभाना है ।

दिनांक १२-६-८५ विषय:-संस्थागत योजना का आधार

समय- ११-०० — १२-०० बजे वक्ता :- डा० ए०बी०सक्सेना

प्रतिवेदन:- श्री एस०डी०वैद्य
श्रीमती कनक लता वेसली

संस्थागत योजना की उपयोगिता बताते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि प्राचार्य अपने सह योगियों के साथ बैठकर उपयुक्त साधनों के आधार पर योजना बनाए। समस्त कठिनाइयों के साथ भी संस्थागत योजना किस प्रकार की जा सकती है ? प्रत्येक प्राचार्य के मस्तिष्क में उनके शाला की एक तस्वीर होती है, कुछ योजनाएं होती है उन्हें किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है ?

संसाधन-- शिक्षक - छात्र - प्राचार्य, शिक्षक छात्र के समुदाय संसाधन है। क्या इनका सही उपयोग शाला की योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाता है ? कोई भी प्राचार्य समय को अपने अनुकूल बनाता है उसे समय के अनुकूल बनने की आवश्यकता नहीं होती।

भौतिक संसाधन--- भवन : फर्नीचर है। क्या सचमुच हम अपने संसाधन को पहचानते हैं और इनका सही एवं पूर्ण (अधिकतम) उपयोग करते हैं। अपनी शाला में पाई जाने वाली प्रतिभा चाहे वह छात्रों में हो या शिक्षक में हो क्या उसका उपयोग किया जाता है या उस प्रतिभा के अनुसार शिक्षक से काम ले समय उनको अपनी व्यक्तिगत सहायता और प्रशंसा देकर उत्साहित करते हैं, उनमें क्या आत्म विश्वास उत्पन्न करते हैं। प्राचार्य केवल मार्गदर्शक रहे कार्य केवल उसकी इच्छानुसार न चले। संस्थागत योजना एक ऐसी योजना है जो किसी भी विद्यालय के क्रिया - -कलापों को शिक्षक और विद्यार्थी की सहायता से पूर्ण किया जा सकता है। क्या हमने अपने व्दारा किये गये प्रयासों का मूल्यांकन किया है और सुधार की प्रार्थना का क्या उद्देश्य है, उसका क्या प्रभाव है, उसे बच्चे किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कैसी भावना रखते हैं ?

विद्यालय का वातावरण एक सीखने योग्य वातावरण होना चाहिये जो बच्चों पर अपना प्रभाव सीधा डाले। विद्यालय के कुछ क्रिया कलाप बच्चों में अच्छी आदतें और अच्छा स्वभाव उत्पन्न करने वाले हो। जो भी योजना बनाई जावे---

-वह शिक्षा का ही एक भाग हो ।

योजना--- किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो एक माध्यम है जिसके व्दारा कार्य सम्पादित होता है । संस्थागत योजना में कार्य पर समय समय पर लगातार निगरानी होनी चाहिये इसी प्रकार अंत में कार्य का मूल्यांकन भी होना चाहिये । योजना शाला की जीवन प्रणाली बन जावे उथला प्रभाव मात्र बनकर न रह जाये । व्यक्ति आधारित न होकर संस्था आधारित हो योजना में समस्त शाला परिवार सम्मिलित हो ताकि यह दीर्घ कालिक प्रभाव प्रस्तुत करे ।

संस्थागत योजना कोई स्थाई योजना नहीं होती । यदि एक विचार क्रियान्वित हो जाये तो उससे आगे दूसरा विचार भी कार्य रुप ले सकता है । यह क्रिया निरन्तर चल सकती है और विकास कार्य में एक के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है ।

• खोज का विषय कुछ इस प्रकार हो कि बच्चे स्वयं जिज्ञासु हो और उनमें कुछ जानने और खोजने की तीव्र इच्छा हो इस तरह वे स्वयं खोज करने वाले हों प्रत्येक कार्य पर विचार कर उसका समय समय पर मूल्यांकन तथा इस हेतु साधन की खोज करना ।

योजना बनाते समय स्थानीय वातावरण पर ध्यान देना आवश्यक है । उससे अध्ययन को जोड़ना चाहिये जैसे गणित और विज्ञान का अध्यापक बच्चों के लिए एक भय कारक विषय बन जाता है जिससे बच्चे जिस स्थान तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाते । योजना व्यक्तिगत न हो ऐसी हो कि वह चलती रहे । शिक्षा को प्रभावी एवं सुलभ बनाना चाहिए । जैसे किसी विषय के एक क्रमानुसार पाठ को इकाई में बांठकर बच्चों को क्रमानुसार पढ़ाया जावे फिर बच्चों को समूह में बांटकर प्रश्नोत्तर व्दारा ही उसकी पुनरावृत्ति करवाई जावे । आवश्यक नहीं कि वर्ष के अंत में ही पूरा पाठ्यक्रम हो जाने पर ही पुनरावृत्ति अंत में करवाई जावे । संस्थागत योजना वास्तविक होनी चाहिये और आडम्बर या बनावटीपन नहीं होना चाहिए । दर्शन का हस्तान्तरण होना चाहिए । कक्षा में क्रिया कलाप प्रयास उत्पन्न करें जिससे कुशलता बढ़े । सीमित साधनों में शिक्षा प्रभावशाली बनाई जा सके । शाला में एक ऐसा स्थान हो जहां कुछ सुनहरे वाक्य प्रतिदिन लिखे जावें । कई समूह शाला में

---३--

वर्तमान में शिक्षा विभाग जो जनपद, मिशन, पिछड़ी जाति एवं जन-जाति तथा शिक्षा विभाग में छछछ बंटा है उसे समाप्त कर एक किया जाय। शाला निरीक्षक का पद अनुपयोगी है इसे समाप्त कर दिया जाय। यह कार्य उस क्षेत्र के खण्ड शिक्षा सेवक से कराया जाय। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सेवक के साथ सहायक शिक्षा सेवक का भी पद रखा जाय। एक शिक्षा परामर्शदात्री समिति की स्थापना किया जाय जो समय समय पर शिक्षा नीति की समीक्षा करती रहे। अच्छी प्रतिभाओं को शिक्षा विभाग की ओर आकर्षित करने के लिये हर विभाग से आकर्षक वेतनमान रखा जाय।

माध्यमिक स्तर तक विभिन्न विषयों का ज्ञान देकर उ०मा० स्तर से कृषि, विज्ञान, कला, वाणिज्य का वर्गीकरण कर उन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान किया जाये। प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर वार्षिक परीक्षा के अंक प्रदान किये जाय। जिससे नकल की प्रवृत्ति समाप्त होगी, बेरोजगारी की समस्या हल होगी तथा विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकेगा। शिक्षा भार स्वरूप न लादी जाय। कार्यों के माध्यम से ज्ञान दिया जाय। "करो और सीखो" योजना लागू किया जाय। कालेज स्तर पर प्रवेश के पूर्व छात्र की रुचि परीक्षा लिया जाय तथा तदनुसार प्रवेश दिया जाय। किसी पद के लिये डिग्री का बंधन समाप्त कर दिया जाय। शिक्षा विभाग में जातिगत आधार पर नियुक्ति न करके आदर्शवान तथा चरित्रवान तथा आत्म समर्पित प्रतिभावान व्यक्तियों को ही रखा जाय। अन्य विभागों की तरह किसी की भी नियुक्ति न कर दी जाय।

प्रत्येक विद्यालय में "नैतिक शिक्षक" का नया पद खोलकर उसकी नियुक्ति की जाय ताकि छात्र ईश्वर, राष्ट्र तथा आत्मा - छछ परमात्मा के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकें। नैतिकता का भाव भरने से ही देश के भावी कर्णधारों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है।

वर्ष में एक बार शिक्षा सम्मेलन खण्ड स्तर पर आयोजित किया जाय जिसमें चुने हुए छात्र एवं अध्यापक भाग लें। शिक्षकों को उनके छि निवास स्थान से दूर रखा जाय ताकि वे शिक्षण का कार्य सुचारु रूप से संपन्न कर सके।

- 0 -

बनाए जाए जो एक के बाद एक यह काम करें । कुछ प्रश्नोत्तर सभा में पूछे जावें जिसे पूरी शाला के बच्चे तैयार कर लावें यह प्रयास भी धीरे-धीरे बच्चों के अध्ययन का एक भाग बन जाएगा और अच्छी आदतें और विचार का निर्माण होगा जो शाला विकास में सहयोगी होगा ।

संक्षेप में शिक्षकों को यह आवश्यक है कि बच्चों में वह प्रारंभ का विचार सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करें ताकि कुछ समय बाद वे स्वयं सजग होकर काम करना सीखें ।

जहां तक हो संस्थागत योजना में छात्र केन्द्रित गतिविधियां होनी चाहिये और शिक्षकों को उसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिये । शाला का सामान्य वातावरण और कक्षा की शिक्षा सीखने पर आधारित होनी चाहिए । योजना का लक्ष्य शिक्षा में और सुधार हो तथा दैनंदिनी शिक्षा से संबंधित हो । प्राचार्य अकेला ही जिम्मेदार न हो परन्तु वह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के सहयोग एवं विचारों के आदान प्रदान के साथ शाला की योजनाओं की योजना बनाए और उसे सफल बनाए । छात्रों को प्रतिस्पर्धा के युग हेतु तैयार करना यह भी एक प्रयास होना आवश्यक है ।

---o---

दिनांक - 12-9-85
समय - 12.00-14.30

विषय:- "संस्थागत नियोजन"
वक्ता - श्री मनमोहन कपूर
प्रतिवेदन - डा. श्रीकृष्ण रैना, प्राचार्य
शा. बा. उ. मा. वि. धामनोद (धार)
एवं
पी. के. साहू, प्राचार्य
शा. भरती उ. मा. शाला कांकेर, बस्तर

श्री कपूर ने अपना व्याख्यान योजना की परिभाषा विकसित करके प्रारंभ किया उन्होंने कहा कि,

किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए उसकी रूप रेखा तैयार की जाती है, तब इस कार्य को योजना कहते हैं। योजना का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर, प्रान्तीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, उपक्षेत्रीय स्तर और संस्था स्तर पर तैयार की जाती है। जब हम संस्थास्तर योजना तैयार करते हैं तब उसे संस्थागत योजना कहते हैं।

योजना साधन की सीमितता, संस्था की आवश्यकताओं, को ध्यान रखते हुए संस्था के विकास के लिए तैयार की जाती है। यह स्थिर न होकर परिवर्तनशील होना चाहिए ताकि भविष्य की आवश्यकताओं पूरा किया जा सके।

<u>योजना किस स्तर पर हो:-</u> संस्थागत संस्था प्रत्येक कार्यों के लिए बनाई जाती है जिसमें संस्था के प्रधान, अध्यापक, छात्र सभी की भागीदारी होती है किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि इसका निर्माण किस स्तर पर किया गया है। जब हम नीचे स्तर योजना तैयार ऊपर के स्तर तक बढ़ेंगे तभी योजना सफल होगा। यदि योजना राष्ट्रीय, प्रान्तीय स्तर पर तैयार की जाकर संस्थाओं लागू किया जावे तब वह सफल नहीं होगा।

विद्यालय में सभी कार्यों में समन्वय स्थापित कर सभी पक्षों की भागीदारी रख कर संस्था का विकास करने के लिए संस्थागत योजना की आवश्यकता

होती है ।

संस्थागत योजना द्वारा निम्नलिखित को अधिक सुनिश्चित किया जा सकता है ।

§1§ साधनों का अधिकतम उपयोग §2§ समय का अधिकतम उपयोग §3§ साधनों एवं साध्यों की सक्षमता §4§ व्यक्तियों और प्रक्रियाओं के बीच तालमेल §5§ समस्याओं को कम करना §6§ अनिश्चितताओं को कम करना ।

संस्थागत योजना की अवधारणा

पद्धतिमूलक उपागम का आशय परस्पर निर्भर ऐसे तत्वों समूहों जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक संभव, उपयुक्त तथा स्वीकार्य साधनों को परिभाषित करने की कोशिश है । जिसकी निम्नलिखित विशेषतायें हैं:-

§अ§ सुपरिभाषित उद्देश्य- तात्कालिक प्रतिफल और दीर्घ कालीन प्रभाव

§ब§ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के भौतिक तथा भौतिकेतर आगम ।

§स§ प्रबंधकीय और शैक्षणिक प्रक्रियाएं जो आग तो § § को जोड़ती और यथार्थ रूप देती है ।

§द§ से प्राप्त होने वाले वास्तविक परिणाम

स्कूल शिक्षा एक प्रक्रिया है जो गाततों §छात्र, कर्मचारी, भवन, वित्त§ आदि को निर्गता §ज्ञान§ आदि में परिवर्तित करती हैं ।

वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी को किस रूप में कार्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए उन सभी सोपानों का इसमें समावेश है । जैसे -

§1§ प्रमुख समस्या की पहचान

§2§ कार्य के लिए उद्देश्यों का निर्धारण

§3§ उद्देश्य प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यों का विश्लेषण

§4§ सम्पूर्ण कारकों और पद्धति के अवरोधों का मूल्यांकन

§5§ वैकल्पिक युक्ति प्रस्तावित करना

§6§ दिये गये संदर्भ में प्राथमिकताओं का हल को पहचानना, उसका मूल्यांकन करना ।

§3§ कार्यक्षेत्र तथा उसका विस्तार:-

किसी संस्था के लिए योजना तैयार करते समय उसके सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए । जो कार्य किया जाना है उसकी सूची कर उसे ग्रुपों में विभाजित करना कर सकते हैं । इसमें विभिन्न क्रियाकलाप जैसे पाठ्यक्रम सम्बन्धी सहपाठ्यक्रम, पाठ्येतर क्रियाकलाप सम्मिलित हो । योजना तैयार निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है ।

§1§ छात्र सेवायें §2§ संकाय विकास कार्यक्रम §3§ भवन एवं उपकरण §4§ विस्तार एवं अन्य कार्यक्रम §5§ सामान्य प्रशासक §6§ वित्तीय प्रबंध

इसमें छात्र सेवायें के अन्तर्गत जलपान गृह, सायकलस्टन्ड, पुस्तक बैंक, सहकारी समितियों आदि का सम्मिलित किया जा सकता है ।

संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यशालाओं, मनोरंजन हाल, संगोष्ठियों आदि का आयोजन तथा तकनीकों को अपनाना आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ।

भवन एवं उपकरण के अन्तर्गत संस्था की भवन, छात्रावास भवन, खेल के मैदान, अध्यापक आवास, अतिथि गृह आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ।

विस्तार एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्येत्तर कार्यक्रम [illegible] आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं ।

[illegible] के अन्तर्गत [illegible] चक्र, छात्र अध्यापक यूनियन, फीस [illegible] आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं ।

[illegible] को एकत्र करना कर्मचारियों [illegible] सहकारी स्टोर बिना लाभ हानि के सम्मिलित किया जा सकता है ।

§4§ संस्थागत योजना की प्रक्रिया:-

संस्थागत योजना बनाने की प्रक्रिया के तीन अवस्थाओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है ।

(अ) मानवीय अवस्था:- इसमें उद्देश्य संकल्प तथा लक्ष्य की स्थापना

(ब) युक्ति मूलक अवस्था:- इसमें क्या किया जा सकता है जैसे प्रश्न आते है । इसके अन्तर्गत समस्याओं तथा आवश्यकताओं की पहचान, संसाधनों का आंकलन, प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजना का निर्माण, योजना को अंतिम रूप देना सम्मिलित है ।

(स) कार्यात्मक योजना:- निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या 2 विस्तृत कदम उठाये जाने चाहिए आदिबातों का निर्धारित करना इसमें शामिल है । इसमें कार्यान्वियन के लिए कार्य योजना , संचारेक्षण और मूल्यांकन, योजना का संशोधन जैसे कदम उठाये जा सकते हैं ।

(1) उद्देश्यों का निर्धारण:-

बहुत से संस्थानों के लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं जबकि कुछ अन्य संस्थाओं के आदर्श एकदम सममान्य होते हैं । संस्थाओं की पहचान उनके द्वारा की गई कार्यों से की जाती है । किसी संस्थान के आरंभिक कार्यक्रमों को निम्नांकित समूहों में विभाजित कर सकते हैं और उनके ही आगे संस्थान के उद्देश्य को परिभाषित किया जा सकता है ।

(अ) अकादमिक :- इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम के विविध रूपों । प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अनुसंधान कार्यों को सम्मिलित किया जाता है ।

(ब) परा-अकादमिक:- इसमें तरह तरह के सह पाठ्यक्रम, क्रियायें, पाठ्येत्तर क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है ।

(स) विस्तार सेवायें:- इसके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, युवक सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न समुदायों की गतिविधियों से सम्बन्धित है ।

दिनांक 14.9.85 एवं 15.9.85 शैक्षिक भ्रमण विवरण

द्वारा:- जे. एल. मेहता प्राचार्य,
आदर्श विद्यालय सैलाना
आर. जी. एस. चौहान प्राचार्य,
गुरूकुल पेन्ड्रारोड
एस. के. निगम प्राचार्य,
आदर्श विद्यालय प्ररहट

कांकेर (बस्तर) के सुरम्य प्राकृतिक अंचल में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्यारह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विभाग की 50 संस्थाओं के प्राचार्य एवं वरिष्ठ व्याख्याता एकत्र हुए । राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, दिल्ली के सुयोग्य शिक्षाविदों द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है ।

इस कर्मशाला के पाठ्यक्रमानुसार दिनांक 10.9.85 से 20.9.85 की अवधि में इस क्षेत्र की कतिपय शैक्षणिक संस्थाओं के अवलोकन का आयोजन, दिनांक 14.9.85 से 15.9.85 तक दो दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के रूप में किया गया ।

त्वरित रूप से प्राचार्यत्रय श्री सतीश भटनागर , श्री सतीश चतुर्वेदी एवं श्री इन्द्रजीत अवल ने योजना आरामदायी बस का आयोजन किया । प्राचार्य श्री डी. पी. तिवारी ने श्री श्यामलताल उपाध्याय की सहायता से योजना को मूर्त रूप दिया । श्री चतुर्वेदी के अथक प्रयास, श्री भटनागर की सूझ बूझ एवं श्री अवल श्री सौम्यता ने इस भ्रमण को एक सुखद अनुभूति एवं स्मृति में परिवर्तित किया इस अवसर पर कुशाग्र बुद्धि प्राचार्य, डा. श्री कृष्ण रैना के निश्छल, प्रेम पूर्ण हास परिहास एवं व्यंग्य विनोद की ज्ञान गंगा में डूबता-उतराता हमारा पर्यटन दल हर्षातिरेक से विह्वल हो इस सुन्दरी आयोजन के प्रति कृत-कृत्य हो रहा था । डा. रैना को हम लोग कभी न भुला पायेंगे ।

इस पर्यटन के दौरान सर्व प्रथम उ. मा. वि. फरसगांव में सुनियोजित ढंग से विकसित शाला उद्यान को देखा । प्राचार्य श्री एन. आर. पिल्ले के अनवरत परिश्रम

द्वारा छात्रों एवं शिक्षक परिवार की सहायता से, शाला परिसर में बड़े ही मनोरम उद्यान का विकास किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के गुलाब, चमेली एवं अन्य फूलों की छटा निराली थी । करो और सीखो योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलें भी शाला परिसर में उगाई गइ है । जहां हम उद्यान की शोभा निहारने में व्यस्त थे वहां प्राचार्य, डा. रैना संस्था के भोले-भाले बालकों में अन्तर्विहित प्रतिभा की खोज में व्यस्त थे । एक बालक ने बड़े ही आत्म विश्वास से हलबी बोली में मधुर गीत सुनाया

तत्पश्चात् अनुभवी एवं वरिष्ठ प्राचार्य श्री एस. डी. वैद्य के कर्मठ हाथों विकसित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसगांव का अवलोकन किया गया । गगन चुम्बी साल के वृक्षों से परिवेष्ठित चौकोर मैदान पर स्थित विद्यालय एवं उसका सम्पूर्ण परिसर एक तपोवन सा दिखाई दे रहा था । वहां बालकों द्वारा संचालित उनकी सदन प्रणाली का अभिनव प्रयोग देखने को मिला । शाला में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का सुनियोजित प्रशिक्षण आदर्श शाला के अनुरूप गौरव पूर्ण था । छात्रों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन भी किया गया । संस्था साफ सुथरी एवं आकर्षक थी । परिसर में कृषि कार्य सुसज्जित विज्ञान प्रयोग शाला, छात्रावास भवन एवं अन्य गतिविधियों के सूचक स्लि सहित कुल मिलाकर संस्था एक आदर्श संस्था के अनुरूप ही थी । बालकों का का प्रेम एवं अनुशासन दर्शनीय था । इतने कम समय में स्वल्पाहार के आयोजन द्वारा यात्रा से परिश्रान्त सबका भाव भीना स्वागत किया ।

कोण्डागांव, बस्तर तथा जगदलपुर के बड़े बाजार उनकी चहल पहल तथा दूर तक चले जाने वाले पंक्ति बद्ध भव्य आधुनिक भवनों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि शासन ने इस पर्वतीय क्षेत्र में विकास में कोइ कसर नहीं उठा रखी है । क्षेत्र के आदिवासियों की परम्परागत वेशभूषा उसके सांस्कृतिक जीवन की झलक देती थी । इस क्षेत्र की नवीनतम अनुभूतियों से आन्दोलित हो हमारे पर्यटक दल ने दन्तेश्वरी देवी के दर्शन के पश्चात् लोहण्डीगुड़ा में रात्री विश्राम किया ।

यहां के प्राचार्य, श्री एम. के. दास की शालीनता एवं आव भगत ने सबका मन मोह लिया । यहीं पर चित्रकूट का प्रसिद्ध जलप्रपात हमने देखा ।

प्रातः काल में शाला के बालकों द्वारा अद्भुत संगीत की धुन पर व्यायाम प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया गया । भोले-भाले बालक विस्मित मुद्रा में यह नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे वहां पहुंचने का उद्देश्य क्या था । अन्य वक्ताओं के साथ ही सहायक संचालक श्री आर. सी. सक्सेना द्वारा विस्तृत प्रकाश डाला गया ।

उपर्युक्त तीनों संस्थाओं के अवलोकन के अवसर पर वहां के प्राचार्यों द्वारा जिस प्रेम एवं आत्मीयता का व्यवहार किया गया वह न केवल अनुकरणीय था । हमारे मन-मस्तिष्क पर स्थाई प्रभाव छोड़ गया । बुनियादी प्रशिक्षण संस्था कांकेर के छात्रावास में जहां हम सामुदायिक रूप से ठहरे हुए हैं वहीं भी इस क्षेत्र के प्राचार्यों तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के छात्राध्यापकों का मधुर व्यवहार इस क्षेत्र की महान् प्रेमपूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं का द्योतक है । कवि प्राचार्य, श्री आर. एन. शुक्ला की कविताओं ने स्थान-स्थान पर अपनी कविताओं का रसास्वादन तो कराया ही किन्तु हमें यह सोचने पर भी विवश कर दिया कि कवितामन्दाकिनी नदी के उद्गम के समान ऐसे नैसर्गिक स्थानों से ही प्रवाहित हुई है । लगता है उन्होंने कविता को आत्म सात् कर लिया है ।

इस पूरे पर्यटन में डा. शील चन्द्र जुना एवं डा. कुसुम प्रेमी , हमारे इस प्रशिक्षण के प्रशिक्षक , पूरे परिवार के प्रमुख के रूप में साथ थे जिन्होंने अपनी सौम्यता एवं मधुर व्यवहार केस से हमें एक सूत्र में आबद्ध रखा । हमारे विभाग के सहायक संचालक श्री आर. सी. सक्सेना जो कि इस पूरे प्रशिक्षण के केन्द्रबिन्दु रहे उनके हम ऋणी है जिन्होंने प्रशिक्षण अवधि में इस शैक्षिक पर्यटन के आयोजन द्वारा प्रशिक्षण पर्यटन के आयोजन द्वारा प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को क्रियात्मक पुट दिया । उनकी बहुमुखी प्रतिभा एवं परिश्रम शीलता अनुकरणीय है ।

दिनांक :- 16.9.85

समय:- 11.00 - 12.30

विषय:- संस्थागत योजना के प्रारूप की विवेचना

वक्ता:- डा. शील चन्द्र जुना

प्रथम चरण में डा. जुना के नेतृत्व में प्रशिक्षार्थियों ने संस्थागत योजना को रूपरेखा प्रस्तुत की । प्रत्येक भाग पर विवेचना की गई । अनेक सदस्यों ने सुझाव दिये जिनको प्रारूप में सम्मिलित किया । अंतिम रूप से तैयार प्रारूप भाग IV में दिया गया है ।

दिनांक 16.9.85 विषय:- संस्थागत प्रायोजना

समय:- 13.00 - 17.30 रूप रेखा का विकास

वक्ता - डा. कुसुम प्रेमी

सत्र के प्रारंभ में डा. प्रेमी ने योजना , परियोजना व गतिविधियों में अन्तर स्पष्ट किया । उन्होंने बताया कि शाला योजना बनाने के बाद आवश्यक है कि योजनाओं कार्यान्वित करने के लिये परियोजनाएं बनाई जायें । परियोजना का चुनाव योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व विद्यालयों की जरूरतों व संसाधनों के अनुरूप करना आवश्यक है । इसके पश्चात् उन्होंने परियोजना विकास हेतु विभिन्न चरणों का विवेचन किया इस कार्य में उन्होंने डा. कपूर द्वारा विकासित प्रारूप का प्रयोग किया । परियोजना का प्रारूप संलग्निका में दिया है ।

प्रशिक्षार्थियों से निवेदन किया गया कि वह अपने विद्यालय के लिये एक परियोजना तैयार करें । इस सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों का परियोजना बनाने की तकनीक से अवगत कराना था । परियोजना बनाने के लिय डेढ़ घंटे का समय दिया गया । सत्र की समाप्ति होने तक सब प्रशिक्षार्थियों ने एक एक परियोजना का विकास किया ।

दिनांक 17.9.85 संस्थागत स्वमूल्यांकन

समय 11.00 - 1.00 महत्व व क्षेत्रो का चयन

- कुसुम प्रेमी

डा. प्रेमी ने सर्वप्रथम मूल्यांकन की आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हम जब भी कोई कार्य विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं तब उसका मूल्यांकन अति आवश्यक हो जाता है । शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व अधिक है क्योंकि हममें हम मूल्यांकन 'आगतों' का प्रयोग करते हैं । मूल्यांकन द्वारा हम output का निश्चय करते हैं । उन्होनें बताया मूल्यांकन एक प्रगति मूलक प्रक्रिया है । जिसमें परीक्षा/निरीक्षण के माध्यम से संस्था की वर्तमान स्थिति का ज्ञान होता है तथा उसकी जानकारी के आधार पर नई योजनाएं बनायी जाती हैं ।

मूल्यांकन को आवश्यकता व महत्व बताने के बाद, वक्ता ने शाला मूल्यांकन की प्रचलित विधि के बारे बताया । उन्होंने खास तौर से प्रचलित विधि की कमियों पर प्रकाश डाला । इस संदभ में उन्होंने विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता व उपादेयता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया और कहा कि मूल्यांकन का उपकरण उसी अवस्था में पूर्ण लाभकारी होगा जबकि इन बातों पर ध्यान दिया जाय ।

मूल्यांकन के उद्देश्यों पर विवेचन करते हुए वक्ता ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों का विस्तृत वर्णन किया । उन्होंने मूल्यांकन का शालाओं के वर्गीकरण में उपयोग गतिनिधि केन्द्रों का चयन करने हेतु उपयोग निरीक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का प्रयोग व पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण में इसी उपकरण की उपयोगिता का महत्व को बताया ।

संस्थागत मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि हॅालाकि शिक्षा आयोग ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व इसकी सिफारिश की थी आज भी अधिकतर राज्यों में इस प्रकार का उपकरण उपलब्ध नहीं । उन्होंने

बताया कि महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य है । जिसमे स्वमूल्यांकन उपकरण बनाया व लागू किया । उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना व प्रशासन संस्थान ने भी एक उपकरण बनाया है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने भी इस उपकरण हेतु क्षेत्रों का चयन किया है । मध्य प्रदेश को शिक्षा संस्थान ने भी अपने लिए इस प्रकार का एक उपकरण तैयार किया ।

इसके पश्चात् प्रवक्ता ने प्रतिभागियों से निवेदन किया कि वह अपने विद्यालयों की स्थिति व कायकलापों को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण के मुख्य क्षेत्र निश्चित करें । अन्त में प्रशिक्षार्थियों की सहायता से निम्न दस क्षेत्र सर्वमान्य सहमति से चयन किये गये ।

1. शाला परिसर
2. शिक्षक व कर्मचारियों की पर्याप्तता, क्षमता व विकास हेतु योजनाएं
3. भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रयोग
4. विद्यालय प्रशासन एवं पर्यवेक्षण
5. विद्यालय की उपलब्धियां
6. विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं
7. विद्यालय का परिवेश से सम्बन्ध
8. पढ़ाई में पिछड़े हुए व प्रतिभावान छात्रों के लिए विशेष कार्य
9. कार्यानुभव
10. शैक्षिक प्रक्रियाएं ।

दिनांक 17-9-85 संस्थागत मूल्यांकन

समय 1.30 - 5.00 उपकरण का विकास

वक्ता:- डा. कुसुम प्रेमी

शील चन्द्र जुना

दूसरी सभा के आरंभ में डा. प्रेमी ने स्वमूल्यांकन उपकरण के विशेष चरणों की चर्चा करते हुए बताया कि उपकरण विकसित करते समय निम्न सोपानों पर ध्यान देना आवश्यक है :-

1- स्कूला का वर्गीकरण के क्षेत्रों का निश्चित करना

2- क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में विभाजित करना

3- प्रत्येक उपक्षेत्र के सूचक बनाना

4- क्षेत्रों व उपक्षेत्रों के लिये अंक निर्धारित करना

5- प्रयोग कर्ताओं के निर्देशिका तैयार करना

6- उपकरण की विश्वसनीयता व वैधता को परखना

समस्त प्रतिभागियों को पांच भागों में बांट कर उन्हें सर्व प्रथम क्षेत्रों के अनुसार अंक निर्धारण करने के लिये कहा गया । अंत में पांचो भागों ने अपनी 128 अंक निर्धारण की सूची प्रस्तुत किया । इसके पश्चात् सभी अंक सूचियों पर बहस के बाद अंतिम अंक सूची विकसित की गई ।

तत्पश्चात् पांचों समूहों ने दो दो क्षेत्र लेकर उपक्षेत्रों व प्रत्येक उपक्षेत्र हेतु सूचक बनाये तथा प्रत्येक सूचक के लिये अंक निर्धारित किये ।

१८-६-८५ — प्रतिभागियों व्दारा संस्थागत मूल्यांकन के

८-३०—११-०० — प्रारुप पर विचार

- कुसुम प्रेमी

-शील चन्द तुना

-समस्त प्रतिभागी

इस चरण में वर्ग नायकों ने अपने अपने वर्गों व्दारा च यन किये गये दो क्षेत्रों के आधीन उप क्षेत्रों एवं सूचकों को प्रस्तुत किया तथा प्रतिभागियों के सुझाव मांगे। वर्गो व्दारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर प्रतिभागियों ने विवेचनात्मक ढंग से अपने सुझाव दिये।

दिनांक:- १८-६-८५
समय:- ११।३०-१४।३०

प्रतिभागियों व्दारा संस्थागत मूल्यांकन के प्रारुप का अंतिम रुप
-समस्त प्रतिभागी

समस्त वर्गों व्दारा अपने अपने क्षेत्रों में तैयार किये गये प्रारुपों पर प्रतिभागियों व्दारा दिये गये सुझावों को प्रारुप में सम्मिलित किया गया । इसके उपरान्त सभी समूहों के नायकों ने सम्मिलित रुप से अंतिम प्रारुप का विकास किया ।

दिनांक:- १६-६-८५

समय:- ११-००—१३-००

विषय:-शाला पंचांग: मुख्य बिन्दु व प्रारूप

परिसंवाद-

समन्वयक- डा०कुसुम प्रेमी

वक्ता-श्री एस०डी०वैद्य
प्राचार्य

(II) प्रभा जोशी
प्राचार्य

(III) श्री जे०एल०मेहता
प्राचार्य

सर्व प्रथम श्रीमती प्रेमी ने चर्चा का प्रारंभ करते हुए बताया कि विभाग ने प्राचार्यों को कार्यगोष्ठी में आते समय शाला-पंचांग साथ में लाने के निर्देश दिये थे,तदनुसार जो कलेण्डर प्राप्त हुए,उनका अध्ययन उन्होंने किया तथा उनके कुछ विशिष्ट बिन्दुओं पर प्रकाश डाला । उनके अपने विचार से प्राय: हर कैलेन्डर में कुछ विशेषताएं थीं तो कुछ कमियां भी थीं । अत: उन्होंने उन सबकी विशेषताओं को देखते परखते कैलेण्डर का आदर्श-स्वरूप विकसित करने का प्रस्ताव रखा ।

प्रस्तुत परिसंवाद में श्रीमती प्रेमी ने क्रमश: भाग लेने वाले वक्ताओं को आमन्त्रित किया तथा उन्होंने शाला कैलेण्डर के विषय में अपने अपने विचार रखे।

भाग- III

प्रतिभागियों के लेख

आदिम जाति क्षेत्र की शैक्षिक समस्याएं

द्वारा :- भैरवदत्त उपाध्याय , उप प्राचार्य, शा. उ. मा. वि. फरसगांव (बस्तर)

आदर्श विद्यालयों में एक प्राचार्य-प्रथम श्रेणी और एक उपप्राचार्य-द्वितीय श्रेणी के पद स्वीकृत है और पदांकन भी कर दिया गया है । स्मरणीय है, म.प्र. के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उप प्राचार्य का पद स्वीकृत नहीं है। इन विद्यालयों में-आदर्श विद्यालयों में-यह पद स्वीकृत और भरा है । विभाग ने इन उप प्राचार्यों के कार्यों और दायित्वों (ड्यूटीज एण्ड रिसपांसिबिलिटीज्) के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिये हैं । जिसके कारण कार्य-विभाजन दायित्वबोध और दिशाज्ञान का अभाव है ।

आदर्श विद्यालयों की स्थापना के समय शासन ने यह विज्ञप्ति प्रसारित की थी कि इनमें पदांकित शिक्षकों को कुछ अतिरिक्त मानदेय प्राप्त होगा । इस स्वीकृति का आज तक पालन क्यों नहीं ?

आदर्श विद्यालय फरसगांव (बस्तर) केन्द्रीय शासन-पुनर्वास मन्त्रालय के रिक्त हुए अस्थायी कुटीरों में चल रही है जो किसी भी भांति आवासगृह की परिभाषा में नहीं है और जिनकी अवधि भी समाप्त हो गई है । फिर भी 25% अनुसूचित क्षेत्रीय विशेष आवास-भत्ता नहीं दिया जा रहा है । जिससे प्राचार्य को 600/- रू. तथा उप प्राचार्य को 400/- तथा इसी प्रकार अन्य शिक्षकों को वेतनानुसार आर्थिक क्षति हो रही है । इस विषय में दिये गये अभ्यावेदनों और स्मरण पत्रों का आज तक उत्तर अप्राप्त है , क्यों ?

आदर्श विद्यालय पूर्णतः आवासीय है । इनमें उत्तम छात्रों को प्रवेश दिया जाता है । अतः प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने तथा उत्तम व्यवस्था हेतु सैनिक विद्यालयों एवं कान्वेन्ट विद्यालयों में प्रतिछात्र व्यय का जो औसत है, उसी के अनुसार आदर्श विद्यालयों के छात्रों पर व्यय किया जाय ।

वर्तमान में 75/- रू. पूर्वमाध्यमिक कक्षाओं और 100/- रू. माध्यमिक (तथा १००) रु० प्रतिमाह उ०माध्यमिक) कक्षाओं के छात्रों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति भी ( ) अपर्याप्त है ।

वर्तमान छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की दरें सर्वथा अपर्याप्त है ।

अनुसूचित क्षेत्रों के सघन विकास के लिए जो प्राधिकरण खोले गयें हैं, उनसे प्रशासन के विशेष प्रकोष्ठ ( ) बन गये हैं, जिनके ऊपर समन्वय की श्रृंखला और कार्यप्रणाली की स्वीकृत पद्धति न होने से उनमें स्वच्छानुसार आदेश पारित होते हैं, जैसे इन्दौर का उदाहरण है ।

मध्यप्रदेश में शाला-संगम योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाय । अब तक के कार्य का मूल्यांकन कर त्रुटियों और न्यूनताओं का समाधान किया जाय ।

अनुसूचित क्षेत्र में 12 महाविद्यालयों में शैक्षिक लिंकेज ( ) योजना चल रही है । इसके संचालन के लिए महाविद्यालयों में अतिरिक्त पदों की संरचना की गई है और उन पर कार्यरत स्टाफ को वेतन आदि आदिम जाति कल्याण विभाग की मद से दिया जाता है । अतिरिक्त आवंटन भी दिया जाता है । किन्तु इस योजना के साथ जो मजाक और फ्राड किया जा रहा है, उसे अविलम्ब रोका जाय और अबतक के कार्य का मूल्यांकन किया जाय ।

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की पाठ्यपुस्तकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उस पर तथाकथित प्रगतिवादियों ने हल्ला बोल दिया है और वे बुरी तरह से पाठ्यक्रम पर छा गये हैं । यह बच्चों के साथ छल है, जिसे रोका जाना चाहिए ।

बस्तर - जिले में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नाम पर समाजकल्याण-विभाग द्वारा बालवाड़ियां और आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा आंगन बाड़ियां चलाई जा रही हैं । इनमें न कोई समन्वय है न पर्यवेक्षण न मूल्यांकन

भी होता है । कार्यरत महिलाएं अप्रशिक्षित हैं और उनके लिए उन्मुखीकरण के कार्यक्रम भी नहीं हैं । आंगन वाड़ियों में कार्यरत शिक्षिकाओं को अंशकालीन मजदूर का वेतन दिया जाता है । बाल-विकास परियोजना अधिकारी उच्च श्रेणी शिक्षिका को बनाया जाता है, जबकि कार्य एवं दायित्व उच्चतम हैं । अतः द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए उसे प्रशासकीय, वित्तीय तथा शैक्षिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए । वर्तमान में केवल 6 माह वाही प्रशिक्षण दिया जाता है जो अपर्याप्त है ।

प्रौढ़शिक्षा का कार्यक्रम का एक अधिकारी नागरिक शिक्षा अधिकारी होता है, जो लेखापाल से पदोन्नत होता है । जिसने कभी शिक्षा का अ, ब, स नहीं सीखा होता, न अनुभव ही प्राप्त होता है । इसी प्रकार की अनेक विसंगतियां है । जिन्हें दूर कर ही प्रौढ़शिक्षा का सफल संचालन हो सकता है ।

-: विभागीय योजना का शिक्षा के साथ समायोजन :-

द्वाराः कु० सालोन, प्राचार्या, शासकीय कन्या उ०मा० शाला, कोण्डागांव, जिला-बस्तर(म

किसी भी राष्ट्र के विकास के ऊपर समाज का विकास निर्भर करता है। जब समाज का विकास करना चाहें तो उसका मुख्य अंग शिक्षा मानी जाती है। जब तक शैक्षिक विकास नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। हमारा देश कमजोर तथा आदिवासी वर्ग से भरा हुआ है अतः यह आवश्यक है कि हम इन आदिवासी वर्ग की उन्नति करें।

इन आदिवासी व कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु हमारी शासन ने कई योजना बनाईं उनमें से शिक्षा प्रमुख रहा। इस उन्नति हेतु शासन ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य इन आदिवासी वर्ग के लोगों का विकास किया जाय जिससे राष्ट्र का विकास हो। इस हेतु विभाग ने चार प्रकार की योजना बनाईं।

(१) शैक्षणिक योजना

(२) सामाजिक योजना

(३) आर्थिक योजना

(४) अन्य

इन योजनाओं में सबसे प्रमुख शिक्षा का है क्योंकि बिना शिक्षा के न तो किसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक व अन्य उन्नति हो सकती है। सन् १९६४ में शिक्षा विभाग के कुछ उच्चतर शालाओं को इस विभाग को सौंपा गया। जब इस विभाग का इन कमजोर वर्ग के प्रति विकास देखा गया तब नरोना कमेटी की स्थापना की गई इसके अनुसार और कुछ शालाएं इस विभाग को सौंपी जाए इस प्रकार वर्तमान में यह विभाग

प्राथमिक शालाएं - २१०००

माध्यमिक शालाएं - ३०००

उच्चतर शालाएं - ४९५

अपने निरीक्षण में चला रही है।

ये शालाएं भी विभाग ने इस प्रकार खोली कि अधिक से अधिक आदिवासी शिक्षित हो सकें। इसके लिये प्राथमिक शालाओं की स्थापना इस प्रकार

की गई जहां जनसंख्या कम से कम २५० हो तथा किसी भी बालक को ५ कि०मी० से अधिक न चलना पड़े। ५ प्राथमिक शालाओं के बीच एक माध्यमिक शालाएं खोली गई तथा ५ माध्यमिक शालाओं के बीच एक उच्चतर शालाओं की स्थापना की गई।

विभाग व्दारा इन्हें पाठ्य पुस्तकों की सुविधा दी गई। विभाग व्दारा पहली व दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है। उच्चतर शालाओं के लिये विभाग व्दारा बुक बैंक की योजना बनाई गई। बुक बैंक का आबंटन छात्र संख्या के आधार पर रखी गई। ये अपनी शैक्षिक उन्नति कर सके इस हेतु इन्हें विभिन्न छात्रवृत्तियां दी गई। ये छात्रवृत्तियां शालेय छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, प्राविण्य छात्रवृत्ति आदि हैं। इनकी अधिक से अधिक उन्नति के लिये विभिन्न छात्रावासों की स्थापना की गई। ये छात्रावास प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक आदि हैं। प्राथमिक स्तर के लिये आश्रम शालाओं में उन्हें आवास, शिक्षा दोनो प्रकार की सुविधा दी गई। विभाग व्दारा कुछ विशेष योजना शिक्षा के प्रसार हेतु की गई। इसके अन्तर्गत कन्या परिसर शालाएं, गुरुकुल की स्थापना की गई।

शिक्षा के साथ शारीरिक विकास भी अति आवश्यक है इस ओर भी विभाग ने विशेष ध्यान दिया इस हेतु शासन नें खेलकूद परिसर की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत ऐसे छात्र, छात्राएं जिनकी खेलकूद में विशेष रुचि है उन्हें इन छात्रावासों में रख विशेष ध्यान किया गया। इह योजना प्रायमरी से कालेज तक लागू की गई। इन परिसर के अन्तर्गत विभाग व्दारा ३५ शालाएं खोली गई जिसमें से वर्तमान में २२ शालाएं चल रही हैं। प्रत्येक परिसर में ४० बच्चों को प्रशिक्षण दी जाती है। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिये राष्ट्रीय खेल संस्थान व्दारा प्रशिक्षक बुलाए जाते हैं। इसके साथ ही विशेष स्कूलों में इनके लिये विशेष शीट रखे गए हैं जैसे सैनिक स्कूलों में १५ % ।

खेल परिसर की स्थापना इन शालाओं में की गई। ये शालाएं मनेन्द्रगढ़, काल्पी, कांकेर, बड़वानी तथा भानुप्रतापपुर में की गई। इसके साथ इन आदिवासी के उन्नति के लिये विभाग नें अन्य योजना बनाई। जैसे विद्यार्थी कल्याण योजना-- इसके अन्तर्गत इन्हें अचानक विशेष रोग से पीड़ित होने पर, इनके गणवेश, लोककला-

लोक नृत्य ~~[illegible]~~ आदि हेतु विशेष अनुदान दिया जाता है । शिक्षा के साथ इनका सांस्कृतिक उन्नति होना भी आवश्यक है । इनकी उन्नति हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है । इस हेतु भी शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

इसके साथ ही सकथ उनके विकास हेतु छात्रदल योजना । विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण, व्होकेशनल शिक्षा । कम पढ़े लिखे लोगों हेतु विशेष शिक्षा इनके कृषि में विकास हेतु योजना आदि बनाई गई ।

इनके प्रशिक्षण हेतु कुछ टायपिंग कक्षाएं भी खोली गई । इनके आर्थिक सुधार हेतु राहत योजना, ऋण योजना की सुविधा दी गई । बाल विकास योजना हेतु टीके पूरक पोषण आदि की व्यवस्था की गई । कुछ जाति जो अत्यन्त पिछड़े हुए हैं उनमें विशेष ध्यान दिया गया ये अबुझमाड़िया, कुड़कू , मारिया, बैगा, सहारिया, तथा कमार हैं । इनके आऊट-डोर-एक्टीविटीज़ पर भी विशेष ध्यान दिया गया । सहकारी समितियों की स्थापना की गई । इस प्रकार शासन नें इनके उन्नति के लिये अनेक कदम उठाये जिसमें शिक्षा ही प्रमुख है । शिक्षा से ही इनका सुधार संभव है।

----०----

-: विभागीय योजना का शिक्षा के साथ समायोजन :-

द्वारा:- श्रीमती एन० चतुर्वेदी, व्याख्याता, महालक्ष्मी बाई उ०मा०शा० जगदलपुर (बस्तर)

कहा जाता है कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का, जिस समाज का व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होगा वह राष्ट्र, वह देश, वह समाज उतना ज्यादा उन्नति करेगा । इसके लिये हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिये । शिक्षा ही वह संजीवनी बूटी है जिसके व्दारा सभी राष्ट्र, देश अपने अधिकारों को, संस्कृति को अमर रख सकता है ।

किसी भी क्षेत्र में विकास की दिशा निश्चित करने के लिये हमारे विभाग ने नीति एवं योजना बनाई है । योजना कई स्तर की हैं । राष्ट्रीय स्तर से लेकर संस्था के स्तर तक योजनाएं बनाई गई हैं जिससे संस्था का स्तर ऊंचा हो। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि स्तर ऊंचा उठाने के लिये हमारे पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो पर हमें यह देखना है कि हम कैसे असीमित साधनों का उपयोग कर अपने शिक्षा की योजना को पूर्ण होने में सहायक हो सकते हैं ।

हमारी समस्या शहरों में शिक्षा पाने वाले स्कूलों से नहीं वरन ग्रामीण अंचलों में निवास कर रहे आदिवासी, पिछड़े वर्गों से जिन्हें शिक्षा नाम से अ, आ, इ तक नहीं मालूम अत: इन क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति अति आवश्यक है । इस योजना का यह उद्देश्य है कि किस तरह से सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक तरीकों का प्रयोग कर उसकी योजना बनाई जाये ।

हमारे विभाग ने इन आदिवासियों के कल्याण के लिये आदिमजाति कल्याण विभाग बनाकर उन विभिन्न विभागों को कार्य भार सौंपा एवं विभिन्न योजनाएं बनाई गईं ।

(१) शैक्षणिक योजना

(२) सामाजिक योजना

(३) आर्थिक योजना

सन् १९६४ में शिक्षा विभाग ने कुछ उच्चतम शालाओं को इस विभाग को सौंपा ताकि सभी वर्गों के लोग इस योजना से लाभ उठा सकें । वर्तमान में-

: : : :

प्राथमिक शाला 21000

माध्यमिक शालायें 3000

उच्चतर शालायें 495

अपने सिरिक्षणो में चला रही हैं ।

शाला आयोजना का सिद्धान्त एवं प्रक्रिया इस प्रकार आयोजित की गई हैं कि आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग अधिक से अधिक लाभ उठा सके ।

विभाग ने इसके लिये विभिन्न छात्रवृत्ति का प्रावधान भी रखा है । जैसे छात्रवृत्ति शिष्य वृति, प्रावीण्य छात्रवृत्ति आदि है । प्रतिभावान छात्रों के अधिक उत्थान के लिये आदर्श स्कूल खोले गये हैं उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिये छात्रवास खोले गये हैं । साथ ही उच्च कोटि के प्राचार्य, व्याख्याता एवं शिक्षकों का पदस्थ किया गया है ।

आदिवासीयों समस्याओं एवं कठिनाइयों को देखते हुए 5 किलो मीटर एवं कि. मी. की दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रा. शालाएं माध्यमिक शालाएं, उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गई हैं ।

शिक्षा के साथ ही उनके शारीरिक विकास की अति आवश्यक है इसके लिए भी विभाग ने विशेष ध्यान दिया और खेल कूद परिसरों की स्थापना की गई जिन्हें खेल कूद में रूचि हो उन्हें छात्रावासों में रूचि हो उन्हें छात्रावासों में रहने की हर सुविधा प्रदान की गई ।

विभाग ने विशेष योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजना खोलीं

§1§ कन्या परिसर

§2§ आदर्श स्कूल

§3§ गुरूकुल

§4§ खेल कूद योजना

विभाग ने सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु भी विशेष सुविधा प्रदान की गई हैं । विद्यार्थी कल्याण योजना के अन्तर्गत उनको रोग से, अचानक विपत्ति के लिये विशेष

धनराशि स्वीकृति का भी प्रावधन है । निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई विभाग ने शिक्षा के प्रगति के लिये योजना खोली जिनमें आदिवासी बालक बालिकाएं इस योजना से उठा सकें । शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्रौढ़ शिक्षा, पढ़ो कमाओं योजना, औपचारिकेत्तर शिक्षा की योजना की । 10+2+3 की नई शिक्षा प्रणाली इन सभी योजना से लाभ उठा कर समायोजन स्थापित कर शिक्षा की प्रगति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है । जिससे हमारा हर आदिवासी, पिछड़ा वर्ग शिक्षित हो अन्य के बराबर समाज में राष्ट्र में देश में अपने को उनके साथ हर क्षेत्र में समायोजन कर सके ।

विभाग ने शिक्षा के लिये युवाकल्याण योजना के अन्तर्गत मिलन मंदिर-छात्रावास सम्मेलन तथा इनकी संस्कृति को जीवित रखने के लिए आदिवासी, नृत्य प्रतियोगिता की भी व्यवस्था की है । गणवेष की सुविधा ।

आदिवासी की उन्नति के लिये पशुपालन कृषि विकास व्यापार के लिये विभाग द्वारा ऋण का भी योदान जिससे गरीब आदिवासी अपने तथा परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठा अन्य समाज में रहने वालों से समायोजन करने में समर्थ रहेगा ।

"विभागीय योजना का शिक्षा के साथ समायोजन"

द्वारा:- श्रीमति के0एल0 वैसली• प्राचार्य , शा0क0उ0मा0शाला कांकेर

शिक्षा एवं विकास आदिवासी एवं जनजाति के लिये योजनाबद्ध रूप से करने के लिये ही आदिम जाति कल्याण विभाग प्रारंभ किया गया है ! हमारे संविधान में आर्टिकल 46 में यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि किस प्रकार कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये शिक्षा आवश्यक है । इस संबंध में यदि [illegible] राय की रिपोर्ट(1959) देखी जावे तो उन्होंने आदिवासी के उत्थान के लिये यह आवश्यक बताया है कि एक समन्वित कार्यक्रम कृषि वानिकी, औद्योगिक और शिक्षा का प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाना चाहिये और तभी आदिम जाति वर्ग का समुचित उत्थान संभव है ।

इसी प्रकार नरोन्हा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी यह कहा कि ऐसी शालाएं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही है उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग दवारा ही चलाया जाना चाहिये और इस प्रकार 1964 में कुछ प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शाला आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने लगी जो इस प्रकार थी ।

		वर्ष शालाओं की संख्या	
		1964	1984
1•	प्राथमिक शाला	4816	14297
2•	पूर्व माध्यमिक शाला	532	2766
3•	उच्च माध्यमिक शाला	104	455
4•	आदर्श उच्च तर माध्यमिक शाला	-	7
5•	[illegible] परिसर	-	4
5•	गुरुकूल	-	1

म0प्र0 में पिछले 10 वर्षों (1961 से 1971 के बीच निश्चित रूप से आदिवासी (ट्राइबल) एवं आदिम जाति लोगों में शिक्षा की उन्नति हुई है और इसका प्रतिशत 2•52प्रतिशत से बढ़कर 4•74 हुआ है ।

इसी प्रकार 1971 से 1981 में शिक्षा में शिक्षा का विस्तार 30 प्रतिशत रहा है और इसके बाद भी आदिम जाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है यह सब प्रयास आदिवासी और आदिम जाति जनसंख्या में साक्षरता लाने के लिये ही किया जा रहा है ।

प्राथमिक शिक्षा " प्राइमरी एजूकेशन" के प्रसार हेतु एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बन चुका है । जिसमें विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार है ।

1. आश्रम शालाओं की स्थापना – ऐसे स्थान जहां की जनसंख्या कम है लोग दूरियों में बसे हैं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिये एक स्थान पर उन्हें आश्रम में रखा कर शिक्षित किया जावेगा ।
2. प्राथमिक शाला की स्थापना – प्रत्येक ऐसे गांव जहां की जनसंख्या 200 से 250 हो प्राथमिक शालाएं खोली जा रही है ।
3. नयी प्राथमिक शालाओं की स्थापना – प्राथमिक शाला की स्थापना ऐसे स्थानों में की जावे जहां पर बच्चे 2 कि0मी0 पैदल चल कर पहुंच सकें उससेज्यादा दूर उन्हें पैदल चलने की आवश्यकता ना हो ।
4. एक शिक्षकीय प्राथमिक शालाओं में शिक्षक अतिरिक्त देने की व्यवस्था :- ऐसी प्राथमिक शालाएं जो सिंगल टीचर स्कीम में हैं उनमें एक अतिरिक्त शिक्षक देना ताकि उस शाला में शिक्षण कार्य निश्चित एवं सुचारु रूप से हो सके ।

पिछले 1984-1985 में 3400 नये प्राथमिक शालाएं खोली गयी और 3850 अतिरिक्त शिक्षक पदस्था किये गये हैं जिससे सिंगल टीचर स्कूल की संख्या 14297 से घट कर 4100 हो गयी ।

अभी भी कुछ आदिवासी क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहां भाषा की कठिनाई से शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है अत: अब ऐसे स्थानों में 20 शालाएं खोली जावेगी जिनमें उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रारंभ की जावेगी यह प्रयोग स्वरूप प्रारंभ किया जा रहा है इनमें 5 भाषाएं ली गयी है :- हलबी , गोंडी, कुडकू, कोरकू, भील इन भाषाओं के साथ ही साथ हिन्दी का अध्यापन भी होगा और कक्षा 5 वीं पहुंचने के साथ ही उनमें हिन्दी का पूर्ण ज्ञान हो जावेगा ऐसी आशा है ।

माध्यमिक शालाएं इस प्रकार खोली जावेगी कि बालक बालिकाओं को 3 कि0मी0 से अधिक चल कर शाला ना आना पड़े । इस प्रकार 660 नये माध्यमिक शाला खुले और उनमें 1934 शिक्षक अतिरिक्त दिये गये ।

इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गयी जिससे बालकों को 20 कि0 मी0 से अधिक दूर न आना पड़े और चार मीडिल स्कूल के बीच एक हा उच्चतर माध्यमिक शाला खोली गयी । 1984-85 में 156 नये उच्चतर माध्यमिक खोले गये 562 अतिरिक्त शिक्षक दिये गये और नये संकाय एवं विषय खोले गये हैं जिनमें कृषि 210 स्कूलों में , कामर्स 88 स्कूलों में और गृह विज्ञान 44 शालाओं में पढ़ाये जा रहे है ।

इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही है जो विकास एवं शिक्षा के उत्थान में सहायक हैं। जैसे :-

1- पुस्तकों का नि:शुल्क प्रदाय :- 3 - 11वीं तक ।

2- गणवेश नि:शुल्क प्रदाय :- कन्याओं को प्राथमिक शाला में गणवेश दिया जाता है ।

3- 10 धन 2 पद्धति की शिक्षा का प्रारंभ,

4- 7050 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता प्रसार,

5- जनसंख्या शिक्षा आदिवासी क्षेत्रों में ~~छछछ~~ चलाना,

6- प्राथमिक माध्यमिक उ0 मा0 शाला भवनों का निर्माण,

~~छछ~~ शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कुछ आकषर्क योजनाएं भी साथ ही चलायी जा रही हैं। जैसे :-

1- प्रिमैट्रिक छात्रावास - 1916 छात्रावास में 38260 सीट है ।
2- पोस्ट मैट्रिक छात्रावास- 100 छात्रावास
3- आई टी आई - 6 आई टी आई होस्टल
4- आश्रम शालाएं - 216 आश्रम शालाएं
5- छात्र वृत्तियां - 1.07 लाख छात्र वृत्ति और शिष्य वृत्तियां दी जाती हैं ।
6- ~~कोचिंग~~ ट्रेनिंग - इंजीनियरिंग में 1124 लड़कों को प्रति वर्ष
7- ट्रेनिंग कम ~~प्रोडक्शन~~ सेन्टर्स- टी0सी0पी0सी0 केन्द्र 534 ट्रेनिज को ट्रेन्ड करते हैं । इनमें

1- बढ़ईगीरी,
2- लोहरी,
3- लोहे की चद्दरों से पेटी बनाना,
4- टाट पट्टी बनाना,
5- बांस का काम,

इसमें उन्हें 50 रु. प्रति माह स्टायफण्ड मिलता है ।

खेल परिसर

इनके अलावा आदिवासी बालक बालिकाओं में खेल प्रतिभा को सही दिशा देने के लिये खेल परिसर मिडिल स्कूल में 200 और हायर सेकेण्डरी में 22 चलाये जा रहे हैं ।

इनमें हायर सेकेण्डरी के छात्रों को 60 रु० और मिडिल स्कूल के बच्चों को 30/- प्रति माह पौष्टिक भोजन हेतु दिया जाता है ।

इसमें हाकी, फुटबाल, वालीबाल एथलेटस सिखाया जाता है ।

पढ़ो और कमाओ योजना

अर्न व्हाइल यू लर्न योजना के अनुसार गुरुकुल विद्यालय पेन्ड्रारोड में खोला गया है ।

कन्या शिक्षा परिसर

कन्या शिक्षा परिसर - कन्या शिक्षा पर अधिक ध्यान देने देने के लिये 5 कन्या शिक्षा परिसर खोले गये हैं जिनमें 6वीं से 11वीं तक छात्राएं किसी ट्रेडस के साथ शिक्षा अध्ययन करेंगी । जैसे सिलाई, बुनाई, खाद्य सुरक्षा एवं संग्रहण, फूड प्रिजरवेशन । यह स्थानों में हैं - कुनकुरी, अंबिकापुर, छिन्दवाड़ा, चौकी

यह कन्या शिक्षा परिसर चलाये जा रहे हैं ।

इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग आदिवासी एवं हरिजन बालक बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में लगातार सफलता प्राप्त कर रहा है ।

" नई शिक्षा नीति पर सुझाव "

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

द्वारा:- पी0के0साहू , प्राचार्य शा0भारती उ0मा0शा0 कांकेर(बस्तर) म0प्र0

-0-

युवा प्रधानमंत्री जी ने मत व्यक्त किया है कि अगले शिक्षा सत्र से नई शिक्षा पद्धति लागू की जावेगी । नई शिक्षा नीति का आधार निम्नलिखित को माना जा रहा है :-

1. समाज परिवर्तन शील है, अत: शिक्षा नीति ऐसी हो कि आने वाले समय पर भी शिक्षा से समाज की आवश्यकताएं पूरा हो सके ।
2. समाज की आर्थिक आवश्यकताएं भी शिक्षा से पूर्ण हों ।
3. साथ ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें देश की टेक्नालिजिकल आवश्यकताओं की पूर्ति हो ।
4. राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब शिक्षा से समाज के सभी वर्गों का आर्थिक , सामाजिक , नैतिक राजनैतिक स्तर ऊंचा उठे ।

वैसे देश में प्रचलित अभी 10 धन 2 धन तीन शिक्षा पद्धति सैद्धान्तिक रूप से अच्छा है कई प्रान्तों में इसमें सफलता प्राप्त हुई है । लेकिन कई प्रान्तों में असफल रहा है इसका प्रमुख कारण इसे सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया । विद्यालयों को नीति के अनुरूप शिक्षक-साधन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

नई शिक्षा नीति के संबंध में हम निम्न सुधार रख सकते हैं :-

1. <u>प्रबन्ध :-</u> नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था हो जिससे देश में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का संचालन एक ही विभाग द्वारा हो । एक विभाग द्वारा संचालित होने से शैक्षणिक व्यवस्था में एक रूपता रहेगी जिसका लाभ बालकों को मिलेगा । अभी म0 प्र0 में शिक्षा शासकीय स्तर पर दो विभागों द्वारा संचालित है जिससे शैक्षणिक व्यवस्था अलग अलग है ।

2. शिक्षा के संचालन में शिक्षा शास्त्रियों , शिक्षा से जुड़े लोगों के द्वारा हो ताकि वे विद्यालयों के आवश्यकताओं को समझा जा सके तथा इसके अनुरूप वे स्टाफ , साधान आदि प्रदान कर सके ।

3. पाठपाठ्यक्रम निधारिण करते समय सभी प्रान्तोंके शिक्षा स्तर को ध्यान में रखा जावे । विशेष कर म०प्र० पिछड़ा जिला बस्तर के बालकों की स्थिति को ध्यान रखा जावे ।

4. विद्यालयों में स्टाफ, भवन, साधान, वित्त व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जावे । तदर्थ शिक्षक, उप शिक्षक, दैनिक मजदूरी वाले शिक्षकों की व्यवस्था को समाप्त की जाकर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जावे ~~छ~~ । स्टाफ पेटर्न निधारित की जावे तथा छात्रों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध कराया जावे ।

5. प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक , उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु विषयवार शिक्षक प्रदान किये जावे ।

6. प्राथमिक , पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालायें खोलने का आधार राजनैतिक न हो इसके लिये क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जावे ।

7. वर्तमान में अभी विद्यालयों में छात्रों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जिसमें कई विद्यालय अभी दो पालियों तथा कई विद्यालय तीन पालियों में चल रहे हैं । इससे नई शिक्षा नीति को लागू करने में कठिनाई होगी । क्योंकि विद्यालयों के अध्यापन हेतु समयाभाव रहेगा जिसमें व्यावहारिक ज्ञान से संबंधित विषयों का अध्यापन प्रभावित होता है । अत: ऐसी व्यवस्था हो कि प्रत्येक शाला एक ही पाली में चले जिससे विद्यालयों को पर्याप्त समय मिलेगा वे वेकेशनल एजूकेशनल, फिजिकल एजूकेशन्स से संबंधित विषयों पर अधिक प्रभावशाली ढंग से अध्यापन करा सकेंगे ।

8. शिक्षकों की योग्यता, क्षमता, कार्य कुशलता आदि को जांचने हेतु समय समय पर परीक्षाएं आयोजित हो ।

9. निरीक्षण कार्य निरन्तर हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

10. बालकों का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन पद्धति से हो , साप्ताहिक, मासिक, मूल्यांकन के अंक त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के अंकों के आधार बालकों को उत्तीर्ण ~~छ~~ घोषित किया जावे ।

11. जनसंख्या उन्मुखीकरण पर आधारित शिक्षा हो ।

\- - -

" शाला आयोजना"

-: कार्यक्रम व सुझाव:-

द्वारा:- पी० तिवारी ,प्राचार्य,शा०उ०मा०शाला,सैलाना,रतलाम (म०प्र०)

वर्तमान शैक्षिक उन्नयन की अ हमियत विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के संबंध में गतिशीलता परिणामजनक स्वयं सिद्ध है इस पर त्वरित प्रायोगिक निर्वहन अनिवार्य व समय की मांग है एतद्

(१)नवीन शि क्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा दान के कार्य में सलग्न घटक को व्यक्तिशः व समूह रूप में संकल्पित व समर्पित होकर स्वप्रेरणा से अथवा अनिवार्य सेवा शर्त के अन्तर्गत कार्य करना होगा अन्यथा वर्तमान पीढ़ी माफ नहीं करेगी व २१ वीं सदी को हम अपने परिकल्पित परिवेश के साथ प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे ।

(२) प्राचार्य व संस्था का शैक्षिक स्टाफ" डेडिकेटेड" है तो संस्था निश्चित प्रतिबिंबित होगी । अध्येता को जो " शेप" देना है वह दिया जा सकेगा । अत चरित्र इस क्षेत्र में लगे सभी घटकों को स्वयं में पुष्ट कर कृतित्व में उतारना होगा तब ही सम्पूर्ण नीति परिणामजनक होगी ।

(३) नई नीति के संदर्भ में शिक्षा दान के कार्य में सलग्न घटकों को उनसे संबंधित क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित करना व कार्य करने की स्पष्ट रेखा से जानकार बनाना अनिवार्य रहेगा जो " प्लान " में अहमियत स्तर पर है ही ।

(४) प्रशि क्षित होने भर से लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा जरूरी होगा संकल्पित व समर्पित भाव से "फील्ड " पर कार्य सर्व संबंधित कर रहे हैं या नहीं इसकी मानीटरिंग व फीडबेक सक्षम,योग्य व समर्पित,पूर्ण ज्ञान युक्त सुपरवाइजरी यूनिट द्वारा किया जाना अनिवार्य शर्त रहे ।

(५) यह कटु सत्य है कि अनवीति,अनचाही शिथिलता,कर्तव्य के प्रति उदासीनता जानकारी पूर्ण रूप से होने पर भी घटकों में समाधाई है जो युवा पीढ़ी की कुंठा संत्रास से स्पष्टतः परिलक्षित भी हो रही है । यह सर्व सिद्ध है कि शिक्षा दान में सलग्न एजीन्सी ही उत्तरदायी रही है व रहेगी नवपीढ़ी निर्माण के लिये एजेन्सी जितनी सक्षम ,योग्यय व संकल्पित समर्पित होगी अपनी प्रयोग शाला के छात्रों को नवपीढ़ी को उतना ही स्तरी " शेप " दे सकेगी व योजना प्रभावीढंग से हृदयंगम---

कर इसे बहु आयाम दे सकेगी ।

(६) शिक्षा का लोक व्यापीकरण कहने से नही करने से ही होगा यह निर्विवाद है दायित्वों को यहां वहां थोपना महज योग्यता व शक्ति का दुरुपयोग होगा समय इसके लिये रुकेगा नहीं ।

सुझाव:-

१- प्रत्येक संस्था में प्रतिदिन के शैक्षिक कार्य का अधिकृत निर्धारण व प्रयोगीकरण हेतु संस्था प्रारंभ पर १५ मिनट की संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की सक्रिय भागीदारी के लिये बैठक ली जाया करे सतत् " एवेल्यूशन " दैनिक कार्य का हो ।

२- प्रत्येक माह नियमित रुप से इकाइवार विभाजित पाठ्यक्रम का इकाईवार जांच-कार्य लेवे व मासिक हो विधिवत् एवेल्यूट हो जो प्रधान व योग्य समिति करे जांच (टैस्ट) पर विचार किये जाकर " गुड- बेड- पोइन्ट्स " व कारगर प्रायोगिकी पर सम्पूर्ण चर्चा प्रधान के साथ शिक्षकों (जो संबंधित हैं) की सतत् हो ।

३- सतत् मूल्यांकन में निम्न से निम्न स्तर के छात्र को उत्तम स्तर तक लाने हेतु उसके स्तर को सही व सतत् " जज " कर उसे प्रेरित मार्गदर्शन दिया जावे व उसे उच्च स्तर तक लाने में सतत् प्रयास विषय शिक्षक का रहे, समस्यामूलक छात्र को प्रधान व जानकार स्टाफ की समिति में चर्चा व उसके परिवेश की सही माहिती लेकर सदै कारगर हल निकाल लिया जाय । कमजोरी हल की जाय ।

४- सारे सत्र की शैक्षिक व सह शैक्षिक क्रिया कलापों, नैतिक व शारीरिक शिक्षा व एस०यू०पी०डब्लू के संबंध में एक उलेबरेट प्लान बना लिया जाय शिक्षक व छात्रों की सहभागिता के साथ इसमें इस तरह से प्रावधान रखा जाय कि छात्रों को का कौशल प्रस्फुरित हो व उनका सम्पूर्ण विकास हो । इन गतिविधियों का संचालन इस तरह हों कि दैनिक अध्यापन प्रभावित न हों । सप्ताह में इन क्रियाओं का ~~सप्ताह~~ कक्षा क्रम में संचालन समय चक्र में प्रावधान रखकर किया जाय ताकि आवश्यक प्रस्फुरक प्रशिक्षण का भी अवसर मिले । इस तरह दिशा ज्ञान के बाद प्रतियोगी रुप में इन क्रियाओं का संचालन शाला का योजित समारोह नवम्बर अंत में आयोजित कर किया जाय । प्रतिभाओं को प्रतियोगिता में प्रत्येक कराकर विकास धारा दी जाय ।

५- प्राचार्य व स्टाफ उनकी संस्था से संबद्ध परिक्षेत्र में छात्रों को उनके (एस०सी० एस०टी० विशेषरूप से) गांव परिवार से सजीव जीवंत सम्पर्क कर उनकी स्थि समझकर फूल प्रूफ दिशादान व समस्या समाधान कर स्कूल में लावें,इन्हें ऐसा डेडीकेटेड अध्यापन दें कि वे उस स्तर तक की पूरी पढ़ाई सर्वांगीण से करें ड्राुट न हो यह ल लक्ष्य व दायित्व अनिवार्य शर्त के रूप में सौंपना होगा ।

६- छात्रों व शिक्षकों के दल बने व हितग्राहियों को उनकी लाभ की योजनाओं क की जानकारी उनसे सजीव संपर्क कर बताई जाय हेतु प्रत्येक हा०सेकण्डरी को सभी योजना व उनसे लाभ लेने की पूर्ण प्रक्रिया संबंधित विभाग ट्राइबल,समाजकल्याण स्वास्थ्य,सिंचाई,कृषि आदि व्दारा भेजी जाय ताकि इन्हें योजना से ,प्रक्रिया से अवगत कराया जाकर लाभ लेने व शोषण से मुक्त करने में जीवंत व सक्रिय भूमिका निर्वहन हो व लाभ उसे ही मिलेजिसे मिलने का हक है । यह एजेन्सी निसंदेह कारगर होगी हेतु संस्था के प्रधान व शिक्षकों ,छात्रों को सहभागिता आधार पर लक्ष्य दिये जांय व मानिटरिंग फीडबेक किया जाय ।

उपरोक्त सुझावों के अनुरूप संस्थागत आयोजन में मेरी संस्था में योजित कार्य प्रारंभ हो चुका है व शिक्षकों ,छात्रों की सक्रिय सहभागिता हेतु मानस निर्मित किया जाने की प्रक्रिया गतिशील है । अपेक्षित परिणाम व स्तर लाने के सतत् प्रयत्न व प्रयास परिणामदायी किये जा रहे हैं ।

शिक्षकें को जीवनोपयोगी बनाने हेतु नई नीति में प्रशिक्षण व तदनुसार निर्वहन की स्पष्ट क्रियान्वित प्रक्रिया से संबंधित घटकों को शिक्षित कर एवेल्यूशन सतत करना होगा इसमें कहीं किसी स्तर पर दुर्लक्ष्य व उदासीनता ग्राह्य नहीं की जानी होगी ।

कमीटेड इफेक्ट किसी भी दशा में कार्यरत घटकों की सेवा की अनिवार्य शर्त स्वप्रेरित रहना होगी ।

----०----

- नूतन शिक्षा नीति के मार्ग में बाधक वर्तमान शिक्षा पद्धति -

द्वारा:- जी०एस० नरेन्द्र, एम ए, एम एड, मा०उ०मा०वि० भानुप्रतापपुर

-0-

नूतन शिक्षा नीति के मार्ग में वर्तमान प्रचलित शिक्षा पद्धति बाधक तत्व के रूप में सिद्ध होगी। ये बाधक तत्व इस प्रकार से हो सकते हैं :-

प्राथमिक शिक्षा पद्धति :-

1- एक शिक्षकीय प्राथमिक शाला :- प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों का अनुपात छात्र संख्या के आधार पर है यथा 45 छात्र के पीछे एक शिक्षक । आदिवासी क्षेत्र में अधिकांश शालाएं एक शिक्षकीय प्राथमिक शालाएं हैं । एक शिक्षक पांच कक्षाओं को चार चार विषयों को पढ़ायें यह संभव नहीं है । शिक्षकों का अनुपात कक्षाओं की संख्या के आधार पर होना चाहिये तथा एक प्रधान अध्यापक भी होना चाहिये !

2- उप शिक्षकों का प्रावधान :- इसी प्रकार वर्तमान में 300/- प्रति माह की दर पर उप शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो शिक्षकीय गरिमा के विपरीत है इसे तत्काल बन्द किया जाना चाहिये और नियमित शिक्षक ही नियुक्त किये जाने चाहिये ।

3- दैनिक वेतन भोगी शिक्षक :- दैनिक मजदूरों की भांति नियुक्त किये जाने वाली प्रथा तत्काल समाप्त की जानी चाहिये और केवल उत्तरदायी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

माध्यमिक शिक्षा पद्धति :-

माध्यमिक शालाओं में पाठ्यक्रम को विस्तृत आकार दिया गया है । अत: इनमें शिक्षकों की व्यवस्था कक्षाओं की संख्या के अनुपात पर होनी चाहिये तथा गणित और विज्ञान के पाठ्य क्रम को देखते हुए इन विषयों के स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हो । विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तों को समझानें के लिये प्रायोगिक कार्य भी कराये जाने चाहिये । गणित के सवालों को व्यावहारिक रूप से भी हल करवाया जाय । सभी शिक्षक प्रशिक्षित हों तथा एक प्रधान अध्यापक हो ।

उच्चतर माध्यमिक पद्धति :-

वर्तमान में उच्चतर माध्यमिक शालाओं में - " विषय छात्र संख्या शिक्षक" का कोई तार्किक अनुपात नहीं है । उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अलग अलग संकाय व विषय होते हैं परन्तु उनके साथ स्वीकृत पदों का कोई सैद्धान्तिक अनुपात नहीं है । इन तीनों के बीच अनुपाती सिद्धान्त होना आवश्यक है ।

उच्चतर माध्यमिक शालाओं में गणित , भौतिक शास्त्र , एवं अंग्रेजी शिक्षकों का अभाव बना रहता है । शिक्षण सामग्रियों की अनुपलब्धता पूरी शिक्षा को पंगु बना देती है । शिक्षण सामग्रियों की पूर्ति का आधार छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये । विज्ञान शिक्षण हेतु समुचित प्रयोग शाला की व्यवस्था हो ।

वर्तमान मूल्यांकन पद्धति के दोष :-

प्राथमिक स्तर - प्राथमिक स्तर पर एक से तीन कक्षा के मध्य कोई परीक्षा नहीं होती जो व्यावहारिक रूप में गलत है । अक्षर, शब्द और अंक ज्ञान जो शिक्षा के आधार भूत तत्व है उनकी उपेक्षा की जाती है । इस अपूर्ण ज्ञान के पक्षाघात को लिये हुए छात्र उच्च शिक्षा तक घसीट- घसीट कर चढ़ता है । इसे तत्काल बन्द किया जाना चाहिये । प्रथम तीन कक्षाओं तक छात्रों को उसका ठोस ज्ञान दिया जाय जो पुख्ता नींव सिद्ध हो । सतत मूल्यांकन कक्षोन्नति का आधार हो ।

माध्यमिक स्तर पर - माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन का आधार इकाई परीक्षा , अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा तीनों के सम्मिलित उपलब्धि के आधार पर होनी चाहिये । इकाई मूल्यांकन को कारगरबनाने के लिये उनकी संख्या को 10 से घटाकर पांच कर देनी चाहिये । इसके स्थान पर विज्ञान के सैद्धान्तिक प्रायोगिक और गणित के व्यावहारिक निपुणता को सम्मिलित करना चाहिये ।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर :- विषयों की अधिकता को देखते हुए सतत मूल्यांकन के अंतर्गत अधिकतम पांच इकाई का प्रावधान रखा जाय तथा उसके साथ अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की उपलब्धियों को सम्मिलित किया जाय ।

शारीरिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है उन गुणों के मूल्यांकन का कोई महत्व नहीं है। उदाहरणार्थ - एक दोषी चरित्र वाला छात्र अपने चरित्रगत दोष के उपरान्त भी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाता है परन्तु इसके विपरीत एक श्रेष्ठ चरित्र वाला छात्र भी अध्ययन के कुछ अंक चुक जाने से असफल हो जाता है। क्या यह नीति सम्मत न्याय है? ऐसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाय जिसमें छात्रों को उनके शारीरिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर भी गुण प्राप्त हों और उनकी सफलता के मानदण्ड में सम्मिलित हो।

उपरोक्त दो बाधक तत्वोंके अलावा और भी कई बाधक तत्व हैं परन्तु संस्था प्रमुख होने के नाते मैंने उपरोक्त दो मुद्दों पर ही विचार व्यक्त किये और अब समापन इसके साथ करता हूं कि अधिक से अधिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये एवं संस्था प्रमुख को प्रभावशाली बनाने के लिये अधिक अधिकार उसको दिये जाने चाहिये।

- - - -

-: विभागीय योजनाएं और शिक्षा में समन्वय की आवश्यकता :-

द्वारा :- कु० इन्द्रा कुमारी राठौर, व्याख्याता, शा०उ०मा०वि०अलीराजपुर, झाबुआ (म०प्र०)

आदिमजातियां और अनुसूचित जातियां वर्षों से समाज से कटकर अलग-थलग रहने से एवं शोषण के कारण सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र के संतुलित विकास के लिये समाज के इस शोषित और पिछड़े वर्ग को अज्ञान के अंधकार से बाहर लाना होगा, समाज के अन्य तबकों के साथ प्रतिष्ठित करना होगा, इनके सर्वांगीण विकास के प्रयास करने होंगे। प्रदेश में शासकीय स्तर पर इस कार्य की जिम्मेदारी आ०जा०कल्याण विभाग की है। अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिये आ०जा०कल्याण विभाग म०प्र०ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार के साथ-साथ अनेक आर्थिक और सामाजिक योजनाएं प्रारंभ की हैं।

जो व्यक्ति दो जून भरपेट भोजन नहीं पा सकता, तन ढकने के लिये जिसके पास नाम मात्र के वस्त्र हैं, जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निरंतर संघर्षरत हैं, उससे यह आशा करना कि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगे आयगा, सर्वथा अकल्पनीय है। फिर आदिवासियों की कथा तो और अधिक दारुण है। वे दूर दराज के पहाड़ी एवं वन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं, सभ्यता और ज्ञान का आलोक उन तक पहुंच नहीं पाया है, वे शिक्षा का महत्व क्या समझेंगे ? अत: इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार कर ही इन पिछड़ी जातियों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि जाग्रत की जा सकती है। इस परिपेक्ष में आ०जा०क०वि०व्दारा इन जातियों के उत्थान के लिये विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक योजनाएं प्रारंभ करने का प्रयास स्वागत योग्य है। परन्तु यह प्रयास तभी फलीभूत हो सकता है जब कि विभाग की विभिन्न योजनाओं और शिक्षा में उचित समन्वय स्थापित किया जाय।

विभाग व्दारा आर्थिक और सामाजिक योजनाएं प्रारंभ कर देने मात्र से इन जातियों का भला नहीं हो जाएगा। इसके लिये जरुरी है कि इन योजनाओं से आदिवासियों को अवगत कराया जाय। इस कार्य को शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा शिक्षक, अन्य किसी अधिकारी के बनिस्बत ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है।

विभाग इस कार्य के लिये शिक्षकों को प्रेरित करे। जब आदिम और जन जातियां इन योजनाओं से लाभान्वित होंगी, उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर उन्नत होगा तो वे स्वत: शिक्षा प्राप्त करने के लिये अग्रसर होंगी।

आदिवासी शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये अधिकतर अधिकारियों और कर्मचारियों पर आश्रित होते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनतम वृत्ति के कारण ये योजनाएं लालफीताशाही और नौकरशाही का शिकार हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप आदिम जन जातियां इनसे लाभान्वित नहीं हो पाती। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा भी आदिवासियों के उन्नयन में सहायक हो सकती है। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का बौद्धिक विकास होगा, उनकी सूझ-बूझ में वृद्धि होगी और वे स्वयं शासन की ओर से चलाई जाने वाली विभिन्न हितकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे और योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।

विभागीय योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने, अर्थात, आदिमजातियों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये शिक्षा के साथ इन योजनाओं का सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना नितांत आवश्यक है।

---0---

-: शिक्षा प्रबन्धन एवं योजना :- एक सुझाव

व्दारा:-आर०सी०शुक्ला, प्राचार्य, शा०उ०मा०शाला, बारामा, जिला-बस्तर(म०प्र०)

भारत की वर्तमान शिक्षा नीति में अब परिवर्तन के आधार निर्मित हो गये हैं। देश के शिक्षाविदों सहित समस्त चिंतकों का ध्यान अब इस ओर केन्द्रित होने लगा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ शिक्षा नीति की नवीन संरचना कर शिक्षा के नवीन अवधारणाओं का समावेश किया जाय। इन्हीं अवधारणाओं की खोज दिशा में " चैलेन्ज आफ एजूकेशन " एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त पुस्तक में प्रयास किया गया है कि खुले मंच में विचार मंथन के निचोड़ से " शिक्षा प्रबंध व योजना " की शिक्षा में भूमिका महत्वपूर्ण ढंग से निर्देशित की जावे।

योजना की सफलता निर्भर करती है प्रक्रिया, श्रोत व उपलब्ध आंकड़ों की विश्वसनीयता-व सत्यता पर श्रोतों के आधार पर निर्मित योजना विहंगमता युक्त नहीं हो सकती अत: यह नितान्त आवश्यक है कि आंकड़ों का संग्रहण विश्वसनीय हो। विकेन्द्रित आधार निर्मित कर पर्याप्त समय प्रदान करना विश्वसनीयता के काफी निकट प्रक्रिया को लायेगा। एकत्रीकरण हेतु प्रत्येक केन्द्र बिन्दु " प्रोजेक्ट " को समझे व पर्याप्त समय का उपयोग करते हुए आंकड़े एकत्र करें। आवश्यक है कि विकेन्द्रीकरण मात्र प्रशासनिक न होकर कार्यों का भी हो। वर्तमान में आंकड़ों के निर्माण में शालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस महत्वपूर्ण इकाई में समस्त कार्य मूलत: स्थापना का लिपिक ही करता है। अत: आवश्यक है कि इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय कि क्या एक अकेला लिपिक समस्त कार्यों के साथ आंकड़ों के जाल में सत्यता व विश्वसनी-यता के ताने बाने बुन सकता है?

योजना निर्माण का आधार आवश्यकता माना गया है। अत: इस ओर भी विचार आवश्यक है कि आवश्यकता निर्धारण में कौन से तत्व कार्य करें? शाला की समस्त शैक्षिक आवश्यकताएं स्थानीय परिवेश से निर्धारित होनी चाहिये। अत: इस बात पर पर्याप्त महत्व व आधार निर्मित किया जाना आवश्यक है कि शाला स्तर पर विकेन्द्रित योजना निर्माण की प्रारंभ अवस्था निम्न बिंदु (स्थानीय परिवेश) हों न कि शीर्ष " अपेक्षा " बिंद।

---२---

शैक्षिक प्रबंध इस ओर तैयार है कि समूचे राष्ट्र में शिक्षा का एक सर्वमान्य ढांचा हो । शिक्षा प्रशासन का योग्यता के आधार पर विकेन्द्रीकरण सह भागिता व समन्वय से शिक्षा का बहुमुखी विकास निःसंदेह कारगर शिक्षा नीति की सफलता के प्रमुख तत्व हैं । संदेह है लिंक प्रोग्राम की सफलता व क्रियान्वयन पर। शिक्षा का अन्य विभागों से लिंकेज कहीं शिक्षा के मूल से छात्रों को भटका न दें । छात्र शिक्षा के साथ उद्योग,तकनीक,उत्पादन व नैसर्गिक संसाधनों के सम्पर्क में प्रत्यक्ष आवें इसके लिये यह कतई आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि इस लिंक का अनावश्यक विस्तार किया जाय ।प्रारंभिक शिक्षा ,जहां छात्र की शैक्षिक नींव रखी जाती है तो इससे बिल्कुल अलग रखी जावे । इस अवसर पर छात्र व शिक्षक को एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावे । इस कार्यक्रम से यह संदेह निर्मित होता है कि अन्य विभागों के दखल से शिक्षा एक मिश्रित प्रक्रिया मात्र बन जावे। अत: यह आवश्यक है कि इस कार्यक्रम की भागिता शिक्षा के साथ सीमित की जाय जिससे शिक्षा सूक्ष्म से विस्तार की ओर बढ़े ।

अंत में आवश्यक है कि शिक्षा की समूची बागडोर शिक्षा से जुड़े विदों के हाथ में ही सौंपी जाय,और प्रशासन के भय तथा राजनैतिक दबाव से इसे दूर रखा जाय ।

----o----

-: विभागीय योजना के साथ-शिक्षा का समन्वय कादीस्वरुप:-

द्वारा:- प्रभा जोशी,प्राचार्या,कन्या शिक्षा परिसर,कुक्षी,जिला-धार(म०प्र०)

आदिमजाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश में शिक्षा के अतिरिक्त आदिवासी विकास की विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रहा है। इन विभिन्न योजनाओं में यद्यपि वर्तमान में " शिक्षा " एक अंश मात्र है,तथापि यदि हम विभाग की विभिन्न योजनाओं में शिक्षा के साथ कोई समन्वय स्थापित कर सकें तो शायद शिक्षा ही नहीं,बल्कि आदिवासी-विकास के वे प्रयास भी जो विभिन्न दिशाओं में किये जा रहे हैं सफल होंगे।

हमें विदित है कि आदिवासी समाज का सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन शिक्षा की एक भारी बाधा है। यदि हम उसे शिक्षा में आकृष्ट करने के साथ साथ उसकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति को सुधारें,उसे सुदृढ़ बनाने तथा उसे सम्पन्न वर्ग के द्वारा होने वाले शोषण से बचाने के लिये सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे,उसकी प्रत्यक्ष मदद देंगे। उसे विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने में मार्गदर्शन देंगे,तो वह आपको विश्वास करेगा,आपकी बातों पर विश्वास करेगा तथा तब उसके सामने शिक्षा का महत्व भी उजागर होगा और वह खुद तथा बच्चों को पढ़ाने की दिशा में उत्साहित होगा।

दूसरे,आदिवासी को यह मालूम ही नहीं है कि उसके हित के लिये कौन सी व कितनी योजनाएं हैं-- शिक्षक ही वह सही आदमी है,जो उन्हें इन योजनाओं तक ला सकता है। वर्तमान में अधिकारी वर्ग इनमें से अधिकांश को कार्यान्वित करते समय,आदिवासी समाज को मदद करते समय एक प्रकार का उपकार सा जताते हैं, और कहीं-कहीं पूरी की पूरी सहायता उन तक न पहुंचकर औनी-पौनी ही रह जाती है,वहां शिक्षक आदिवासियों का विश्वास भाजक बनकर उनमें शैक्षिक जागृति भर सकता है कि यह सब सहायता पाना उनकी सहज पात्रता है,यह कोई दान या भीख नहीं है। इस प्रकार शिक्षा व शिक्षक विभागीय कल्याणकारी योजनाओं को अपनी शिक्षा के साथ समन्वित करके सफल बना सकता है। हां--यह कार्य शिक्षक के विवेक तथा उसकी कार्य कुशलता,समन्वयकारी बुद्धि पर ज्यादा आश्रित होगा।

शासन यदि किसी आदेश के द्वारा उससे यह कार्य करवाना चाहेगा तो फिर ये कार्य प्रथम और शिक्षा के दूसरे दर्जे पर पहुंच जाने का भय उत्पन्न हो सकता है ।

आदिवासी- समाज के इन बहुमुखी- कल्याण कार्यों के सीधे लाभ का प्रभाव उनके सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठायेगा, जिसका प्रभाव उनके शैक्षिक स्तर के उन्नयन में भी निश्चित ही पड़ेगा । वे खुद शिक्षा के प्रति आतुर होंगे तथा शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक बनेंगे ।

भारत में शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप

द्वारा:- श्री गोरेलाल दूबे, प्राचार्य,
श्री आर०के० सिंह, व्याख्याता,
शा० उ०मा०वि० कुनकुरी (रायगढ़)

शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता :-

खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 वर्षों बाद भी भारत में अंग्रेजों द्वारा लार्ड मैकाले द्वारा लादी गयी शिक्षा नीति कार्यान्वित की जा रही है । जिस शिक्षा का जीवन में कोई उपयोग नहीं है । छात्रों में अनुशासनहीनता, राष्ट्रीय चरित्र का गिरना इत्यादि जो बातें देखने को मिल रही है उसके मूल में भारत की दूषित शिक्षा नीति है । देश को सुख -समृद्धि की ओर ले जाना है , सुयोग्य नागरिक बनाना है , देश में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं तोड़फोड़ की प्रवृत्ति को कम करना है , धार्मिक विद्वेष का भाव समाप्त करना है तो भारत की शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन कर संपूर्ण देश के लिये एक जीवन उपयोगी शिक्षा नीति बनाकर लागू करनी पड़ेगी ।

शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप :-

शिक्षा विभाग प्रत्येक प्रान्त का अलग अलग न होकर संपूर्ण देश का एक कर दिया जाय । देश को शैक्षणिक प्रशासन की दृष्टि से आठ भागों में बांटा जाय । शिक्षा विभाग का सर्वोच्च नियंत्रक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त महान शिक्षाविद को रखा जाय । जिसका चुनाव संपूर्ण देश के शिक्षकों तथा साहित्यकारों के माध्यम से किया जाय । उस पद का नाम "सर्वोच्च शिक्षा सेवक" रखा जाय । विभिन्न खण्डों के जो अधिकारी हों उनका नाम " उच्च शिक्षा सेवक" रखा जाय ! इससे महान सन्त तुलसी का मूल मंत्र " हम सेवक सेवक परिवार सवेता, स्वारथ जनि कछु आयुस देता " साकार सिद्ध हो सकेगा तथा शिक्षा विभाग में अधिकारी तथा आफिसरी की जो बू आती है वह समाप्त हो सकेगी । प्रत्येक खण्ड को उप खण्डों में विभाजित किया जाय तथा उसका जो नियंत्रक हो उस पद का नाम " खण्ड सेवक रखा जाये ।

प्राथमिक स्तर , माध्यमिक स्तर, उ०मा० स्तर तथा कालेज स्तर पर प्रत्येक की प्रबन्ध व्यवस्था पूर्ण रूपेण पृथक पृथक कर दिया जाये । सर्वोच्च स्तर पर शिक्षा नीति तय किया जाय लेकिन कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड के सेवकों पर छोड़ दिया जाय । प्रत्येक संरक्षक एवं निरीक्षक अलग अलग रखा जाय जो अपना प्रतिवेदन सर्वोच्च शिक्षा सेवक के पास प्रस्तुत करें ।

वर्तमान में शिक्षा विभाग जो जनपद, मिशन, पिछड़ी जाति एवं जन-जाति तथा शिक्षा विभाग में छछछछ बंटा है उसे समाप्त कर एक किया जाय। शाला निरीक्षक का पद अनुपयोगी है इसे समाप्त कर दिया जाय। यह कार्य उस क्षेत्र के खण्ड शिक्षा सेवक से कराया जाय। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सेवक के साथ सहायक शिक्षा सेवक का भी पद रखा जाय। एक शिक्षा परामर्श दात्री समिति की स्थापना किया जाय जो समय समय पर शिक्षा नीति की समीक्षा करती रहे। अच्छी प्रतिभाओं को शिक्षा विभाग की ओर आकर्षित करने के लिये हर विभाग से आकर्षक वेतनमान रखा जाय।

माध्यमिक स्तर तक विभिन्न विषयों का ज्ञान देकर उ०मा० स्तर से कृषि, विज्ञान, कला, वाणिज्य का वर्गीकरण कर उन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान किया जाये। प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर वार्षिक परीक्षा के अंक प्रदान किये जाय। जिससे नकल की प्रवृत्ति समाप्त होगी, बेरोजगारी की समस्या हल होगी तथा विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकेगा। शिक्षा भार स्वरूप न लादी जाय। कार्यों के माध्यम से ज्ञान दिया जाय। "करोऔर सीखो" योजना लागू किया जाय। कालेज स्तर पर प्रवेश के पूर्व छात्र की रुचि परीक्षा लिया जाय तथा तदनुसार प्रवेश दिया जाय। किसी पद के लिये डिग्री का बंधन समाप्त कर दिया जाय। शिक्षा विभाग में जातिगत आधार पर नियुक्ति न करके आदर्शवान तथा चरित्रवान तथा आत्म समर्पित प्रतिभावान व्यक्तियों को ही रखा जाय। अन्य विभागों की तरह किसी की भी नियुक्ति न कर दी जाय।

प्रत्येक विद्यालय में "नैतिक शिक्षक" का नया पद खोलकर उसकी नियुक्ति की जाय ताकि छात्र ईश्वर, राष्ट्र तथा आत्मा - छछ परमात्मा के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकें। नैतिकता का भाव भरने से ही देश के भावी कर्णधारों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है।

वर्ष में एक बार शिक्षा सम्मेलन खण्ड स्तर पर आयोजित किया जाय जिसमें चुने हुए छात्र व अध्यापक भाग लें। शिक्षकों को उनके छि निवास स्थान से दूर रखा जाय ताकि वे शिक्षण का कार्य सुचारुप रूप से संपन्न कर सके।

- 0 -

भाग- IV - संस्थागत नियोजन एवं संस्थागत मूल्यांकन के आधार का प्रारूप

IV - १

संस्थागत योजना का प्रारूप

भाग - 1

विद्यालय का सामान्य परिचय

1. संस्था का नाम -

2. शासकीय/अशासकीय :- -
§ शिक्षा/आ.जा.क. §

3. संस्था का पता :- -

4. संस्था की स्थिति :- शहरी/ ग्रामीण

5. मान्यता :-
§अ§ विद्यालय की मान्यता वर्ष - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ब§ विद्यालय की अतिरिक्त विषय मान्यता वर्ष - - - - - - - - - -

6. विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास :- - - - - - - - - - - - - - - -
§अ§ संस्था प्रारंभ होने का दिनांक :- - - - - - - - - - - - - - -

7. वर्तमान स्थिति :-

(क) कक्षावार छात्र/छात्रा संख्या :-

कक्षा	वर्ग संख्या	वर्ष 198		वर्ष 198		वर्ष 198	
		बालक	बालिका योग	बालक	बालिका योग	बालक	बालिका योग
9 वीं							
आदि.							
हरि.							
पि. व.							
पि. जा.							
अन्य							
योग							
10 वीं							
आदि.							
हरि.							
पि. व.							
पि. जा.							
अन्य							
योग							
11 वीं							
आदि.							
हरि.							
पि. व.							
पि. जा.							
अन्य							
योग							
12 वीं							
आदि.							
हरि.							
पि. व.							
पि. जा.							
अन्य							
योग							

(ख) (I) कक्षा IX एवं X की विषयवार छात्र/छात्रा संख्या

विषय	वर्ष 198	वर्ष 198	वर्ष 198
हिन्दी/अंग्रेजी			
अंग्रेजी/हिन्दी			
संस्कृत			

(II) कक्षा XI एवं XII की संकाय एवं विषयवार छात्र/छात्रा संख्या

विषय	वर्ष 198	वर्ष 198	वर्ष 198
भाषाएं :-			
हिन्दी			

कला :-			
इतिहास			
भूगोल			

विज्ञान			
भौतिक शास्त्र			

कृषि :-			
सामान्य कृषि			

वाणिज्य :-			
वाणिज्य के मूल तत्व			
ललित कला			

गृह विज्ञान			
मातृकला			
------			

§ग§ स्टाफ विवरण :-

सरल क्रमांक	पदनाम	[illegible] अप के अनुसार	[illegible]	कार्यरत	अधिक्य/रिक्त कारण	वर्ष 198 मंडल के सेट अप के अनुसार	वर्ष 198 स्वीकृत पद	वर्ष 198 कार्यरत	वर्ष 198 रिक्त पद	वर्ष 198 स्वीकृत पद	वर्ष 198 कार्यरत
1.	प्राचार्य										
2.	उप प्राचार्य										
3.	व्याख्याता										
	————										
	————										

§घ§ अध्यापकों की योग्यता सूची :-

सरल क्रमांक	पद नाम	योग्यता	संख्या प्रशिक्षित	संख्या अप्रशिक्षित	योग
	प्राचार्य				
	उप प्राचार्य				
	व्याख्याता				
	- - - - -				
	- - - - -				
	- - - - -				
	योग				

परीक्षाफल

§1§ स्थानीय परीक्षा :-

कक्षा	वर्ष 198			वर्ष 198			वर्ष 198		
	छात्र संख्या			छात्र संख्या			छात्र संख्या		
	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत
Ix									
आदि.									
हरि.									
अन्य									
योग									
xI									
आदि.									
हरि.									
अन्य									
योग									

(III) [illegible] परीक्षा

छात्र संख्या	वर्ष 198	वर्ष 198	वर्ष 198
हाई स्कूल			
सम्मिलित			
उत्तीर्ण			
परीक्षाफल			
प्रतिशत			
प्रथम श्रेणी			
द्वितीय श्रेणी			
तृतीय श्रेणी			
हायर सेकेण्ड्री			
सम्मिलित			
उत्तीर्ण			
परीक्षाफल			
प्रतिशत			
प्रथम श्रेणी			
द्वितीय श्रेणी			
तृतीय श्रेणी			

बोर्ड परीक्षा :- [illegible] विवरण :-

कक्षा [illegible] वर्ष 198 वर्ष 198

विषय [illegible] छात्र [illegible] [illegible] प्रतिशत

[illegible] अन्य योग

हाई स्कूल

हिन्दी

अंग्रेजी

हायर [illegible]

हिन्दी

अंग्रेजी

छात्रवृत्ति परीक्षा :-

सरल क्रमांक	छात्रवृत्ति परीक्षा	वर्ष 198		वर्ष 198		वर्ष 198	
		सम्मिलित	चयनित	सम्मिलित	चयनित	सम्मिलित	चयनित
1.	राष्ट्रिय प्रतिभा खोज परीक्षा						
2.	ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा						
3.	----------						
4.	----------						

योग्यता छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति :-

सरल क्रमांक	छात्रवृत्ति	प्राप्तकर्ताओं की संख्या		
		वर्ष 198	वर्ष 198	वर्ष 198
1.	योग्यता छात्रवृत्ति			
2.	छात्रवृत्ति			
3.	शिष्यवृत्ति			
4.	खेल परिसर शिष्यवृत्ति			

छात्रावास संबंधी जानकारी :-

सरल क्रमांक	छात्रावास का प्रकार	जातिवार संख्या आदि.	हरि.	अन्य	योग	स्वीकृत सीट	अतिरिक्त भार
1.	बालक						
	198						
	198						
	198						
2.	बालिका						
	198						
	198						
	198						
3.	खेलकूद परिसर						
	198						
	198						
	198						
4.	———						

पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येत्तर क्रिया कलापों में सम्मिलित उपलब्धि

सरल क्रमांक	क्रिया कलाप	वर्ष 198						वर्ष 198				वर्ष	
		विकास खण्ड।	परियोजना स्तर 2	जिला स्तर 3	संभाग स्तर 4	राज्य स्तर 5	राष्ट्रिय स्तर 6	1	2	3	4	1	2
1.	वाद विवाद सम्मिलित उपलब्धि												
2.	खेलकूद												
3.	बालचर गाईड												
4.	सांस्कृतिक												
5.	विज्ञान प्रश्नोत्तरी												
6.	सामान्य ज्ञान परीक्षा												
7.	शैक्षिक उपलब्धि पर छात्र अलंकरण												
8.	राज्य विज्ञान मेला												
9.	लोक नृत्य												
10.	एन. सी. सी.												

वित्तीय संसाधन :-

प्राभूत तथा सुरक्षित संसाधन

1. प्राभूत का प्रकार एवं पंजीयन वर्ष
2. प्राभूत का तत्समय मूल्य
3. प्राभूत का वर्तमान मूल्य
4. प्राभूत से वार्षिक आय
5. अन्य विवरण

सुरक्षित कोष :-

1. विनियोग का प्रकार एवं वर्ष
2. वार्षिक प्राप्ति (ब्याज) तीन वर्षों का विवरण

शुल्क आय

गत तीन वर्ष	शुल्क	शासकीय कोष में जमा की गई धन राशि	अनुरक्षण कोष में जमा की गई धन राशि	निः शुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति x। x x। x।।	अन्य
198	शिक्षण				

198	शिक्षण				

198	शिक्षण				

छात्र निधि का विवरण

सरल क्रमांक	मद	198 आय	198 व्यय	198 बचत	198 आय	198 व्यय	198 बचत	198 आय	198 व्यय	198 बचत
1.	क्रीड़ा									
2.	परीक्षा									
3.	स्काउटिंग									
4.	निर्धन छात्रनिधि									
5.	विद्यालय पत्रिका									
6.	छात्र सहकारिता निधी									
7.	विज्ञान क्लब									
8.	दण्ड									
9.	अन्य									

विज्ञान प्रयोगशाला तथा शिक्षण सामग्री पर व्यय

सरल क्र.	मद	विगत तीन वर्षों का व्यय					
		198		198		198	
		प्राप्त आबंटन	व्यय	प्राप्त आबंटन	व्यय	प्राप्त आबंटन	व्यय
1.	भौतिकी						
2.	रसायन विज्ञान						
3.	जीव विज्ञान						
4.	गृह विज्ञान						
5.	भूगोल						
6.	कार्यानुभव						
7.	सहायक शिक्षण सामग्री						
8.	श्रव्य-दृश्य सामग्री						
9.	सैन्य विज्ञान						
10.	शिल्प						
11.	कृषि						
12.	पुस्तकालय						
13.	संगीत						
14.	सांस्कृतिक						
15.	अन्य						

§ भाग दो §

संस्था के भावी विकास की योजना

संस्था के विकास हेतु तैयार की जाने वाली योजना में अध्यापकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया की रूपरेखा

भौतिक संसाधन :-

भवन एवं उपस्कर	वर्तमान	अतिरिक्त आवश्यकता	उपलब्धि के संसाधन
शिक्षण कक्ष			
प्रयोगशालाएं			
पुस्तकालय			
कलाकक्ष			
संगीत कक्ष			
वैकल्पिक कक्ष			
अध्यापक कक्ष			
भंडार कक्ष			
प्राचार्य कक्ष			
कार्यालय कक्ष			
कैन्टीन			
क्रीडा कक्ष			
एन. सी. सी. कक्ष			
स्काउट गाइड तथा रेडक्रास कक्ष			
सभा कक्ष			
कामन रूम			
शौचालय			
व्यायाम शाला			
सहकारी भंडार कक्ष			
पढ़ो कमाओ योजना कक्ष			
टैलीफोन			
टैलीविजन			
ओवर हेड प्रोजेक्टर			
स्लाइड प्रोजेक्टर			

प्रकाशाए भवन

क्रीडा स्थल एवं क्रिया कलाप

1. वर्तमान स्थिति ------- लम्बाई ------- चौड़ाई ------ क्षेत्रफल ------
2. खेले जा रहे खेलों का विवरण ------------------------
3. योजना अवधि में समाहित किये जाने वाले खेलों का विवरण ------------
   ----
4. संस्था की विकास खंड/परियोजना/जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने की स्थिति :—

सरल क्र.	खेल का नाम	छात्र संख्या							विशेष उपलब्धि
		विद्यालयी स्तर	विकास खंड स्तर	परि० स्तर	जिला स्तर	संभाग स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर	
		1	2	3	4	5	6	7	

~~प्रकाशाए भवन~~

परिसर

क्र.	विवरण	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	संसाधन
1.	विद्यालय वाटिका			
2.	वनस्पति उद्यान			
3.	संग्रहालय			

-: मध्य प्रदेश के आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित
शालाओं के प्राचार्यों द्वारा कांकेर जिला-बस्तर
में आयोजित कार्यगोष्ठी में संकलित
प्रायोजना सूची

(१) शैक्षिक :-

१- इकाई योजना और परीक्षण
२-गणित तथा भाषा विषय लिखित कार्य को सुधारने के तरीके
३-सहायक शिक्षण- सामग्री तैयार करना तथा उसका बेहतर उपयोग ।
४-ग्रीष्मावकाश तथा लंबी छुट्टियों हेतु सुनियोजित गृह कार्य ।
५-शाला - संकुल- योजना द्वारा अकादमिक-सुधार ।
६-अंग्रेजी-शिक्षण तथा स्तरोन्नयन कार्य योजना ।
७-पिछड़ी जाति एवं आदिवासी छात्रों हेतु विशेष कक्षाएं ।
८-स्कूल कैलेण्डर तथा डायरी बनाना ।
९-ट्यूटोरियल कक्षाओं की योजना ।
१०- छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच को प्रभावी बनाना ।
११-हस्तलेख एवं वर्तनी में सुधार के साथ शुद्ध-उच्चारण ।
१२-प्रश्न बैंक बनाना ।
१३-शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध रोकना ।
१४-छात्र-उपस्थिति- सुधार तथा कक्षा-शिक्षण को प्रभावी बनाना ।
१५-कक्षाओं में आकस्मिक तथा पूर्वसूचित पर्यवेक्षण ।

(२) सह -शैक्षिक :-

१-क्षेत्रीय आदिवासी सांस्कृतिक परिवेश को शिक्षा-संस्था से जोड़ना ।
२-सही ढंग से राष्ट्रगीत सिखाना ।
३-विद्यालय-पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका निकालना ।
४-पुस्तकालय का शैक्षणिक उपयोग ।
५-शैक्षणिक पर्यटन ।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राप्त सुविधाओं की जानकारी वर्ष- 198

क्र.	सुविधा का नाम	लाभान्वित छात्रों की संख्या		लाभ से वंचित छात्रों की संख्या		प्राप्त आबंटन	आवश्यक आबंटन	लक्ष्य प्राप्ति में कमी	लाभान्वित छात्रों का प्रतिशत	विशेष
		आदि0	हरि0	आदि0	हरि0					
1.	शिष्यवृत्ति									
2.	छात्रवृत्ति									
3.	पोषाक									
4.	स्वेटर्स									

(३) <u>पाठयेत्तर तथा विस्तार -कार्यक्रम</u> -

१-अभिभावक-अध्यापक-संघ बनाना ।

२-प्रौढ़ -शिक्षा-केन्द्र -प्रारंभ करना ।

३-छात्रावास- संचालन ।

४-पेय-जल-व्यवस्था ।

५-शिक्षा-संगोष्ठी की गतिविधियों की रिपोर्टिंग ।

६-रात्रि-कक्षाएं ।

७-रोटरी तथा लायन्स क्लब जैसी संस्थाओं से अनुदान के रूप में सामग्री प्राप्त करना ।

८-स्कूल की सामग्री-ढुलाई हेतु बैलगाड़ी ठेलागाड़ी आदि समुदाय से जुटाना ।

९-अभिभावकों तथा सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेकर फर्नीचर की समस्या हल करना ।

१०-आदिवासी वस्तुओं का संग्रहालय बनाना ।

११-बाजार,मेला,नहुई में छात्रों व्दारा सेवा कार्य योजना ।

१२-वन-संवर्धन योजना (हरीतिमा प्रोजेक्ट,नर्सरी आदि) ।

१३-विभिन्न विभागाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर छात्रों के ज्ञान-वर्धन की योजना ।

१४-संचयिका-योजना ।

१५-संस्था में रेडक्रास-स्थापना ।

१६-राष्ट्रीय-सेवा- विस्तार-योजना ।

१७-साइकिल-स्टैण्ड-निर्माण ।

१८-संस्था में रंगमंच बनाना ।

१९-स्थानीय प्रतिभाएं एवं शालेय कार्यक्रम योजना ।

२०-स्थानीय परिवेश में प्रचलित त्यौहारों-पर्वों आदि का पर्यवेक्षण एवं संकलन ।

(४) <u>पढ़ो और कमाओ योजनान्तर्गत कुछ प्रायोजनाएं</u> :-

१-मत्स्य पालन ।

२-मुर्गी पालन ।

६-योगासन्-कार्यक्रम को संस्था में प्रभावी ढंग संचालित कराना तथा छात्रों में अभिरुचि जागृत करना ।

७-छात्रों में नेतृत्व विकास ।

८-अनुशासन - मंडलों का निर्माण ।

९-बालकों में क्रीड़ा संबंधी-विशिष्ट रुचि को प्रोत्साहित करना तथा खेल परिसरों का विकास ।

१०-छात्रों कैस्वास्थ्य-परीक्षण एवं आकलन योजना ।

११-समस्या-मूलक छात्रों हेतु विशिष्ट कार्य ।

१२-वाचनालय के उपयोग तथा छात्रों में पठन-पाठन प्रवृत्ति का विकास ।

१३-बाल-सभाओं का शैक्षणिक महत्व तथा आयोजन ।

१४-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहयोग ।

१५-क्रीड़ा-स्तर सुधार योजना ।

१६-विद्यालय-क्रीड़ा प्रांगण को समतल बनाना ।

१७-शाला-उद्यान का विकास ।

१८-शाला में बैठक-गृह का निर्माण ।

१९-शाला में वनस्पतिक-उद्यान का विकास ।

२०-विज्ञान-प्रदर्शनी का आयोजन ।

२१-गृहविज्ञान- कला प्रदर्शनी ।

२२-राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन ।

२३-विभिन्न अभिरुचियों का विकास हेतु " हाबी-क्लब " बनाना ।

२४-स्कूल-पुस्तकालय को सम्पन्न बनाना ।

२५-विषयाध्यापक-संघ बनाना तथा चलाना ।

२६-भित्ति पत्रिका-योजना ।

२७-कक्षा से छात्रों के भागने की समस्या तथा उसका हल ।

२८-बच्चों के कोर्ट-कार्यक्रम (मॉक पार्लियामेंट) की एक नियमित क्रमबद्ध योजना ।

२९-कक्षा में फिल्मों का तथा दृश्य-श्राव्य सामग्री का समुचित प्रयोग ।

३०-स्कूलों में सदन प्रणाली प्रारंभ करना ।

३१-विद्यालय परिसर की सजावट ।

३२-कक्षा भवन का निर्माण ।

३-टाट-पट्टी बनाना ।

४- टोकरियां बनाना ।

५-ईंट-कवेलू-उद्योग ।

६-फोटोग्राफी ।

७- काष्ठ-शिल्प ।

८-निवाड़ बुनना ।

९- नर्सरी लगाना ।

१०-चाक बनाना ।

११-टैलरिंग ।

१२-कशीदाकारी ।

SIMULATION EXERCISE ON INSTITUTIONAL PLANNING

Date on School "A"

- Total Enrolment : 300
- Enrolment: per section : 40 pupils maximum
- Teachers Full Time Equivalent. : 32 periods per week
- Maximum period of utilisation of rooms per week. : 45 periods.
- The estimates for teacher requirements be returned off to 1/4, 1/2, 3/5, etc.
- Average area of general room : 50 sm., mts.
- Average area of multipurpose Rooms : 75 sq. mts.
- Maximum index of utilasation : 0.8 (80%)
- Number of period in different subjects are :

Subject	Period	Type of Room
Hindi	6	G
English	6	G.
Social Studies	3	G
Mathematics	5	G
Science	5	G
Industrial Arts & Home Economics	3	M
Music	2	M
Physical Education	2	1/2 Outside 1/2 M
Religion	1	G
Optical Subjects	5	3/5 G 2/5 M
Total Periods:	38	

G= General
M= Multi - purpose.

On the basis of above information compute

1. Number of teachers in full time equivalent . (PTE)
2. Actual number of teachers required.
3. Teacher-pupil ratio in FTE and actual number of teachers.
4. Requirements of rooms (General class rooms, Multipurpose rooms, rooms outside the school).
5. Index of Utilisation of rooms with the help of following formula,

$$\text{Index of Utilisation of rooms} = \frac{\text{No. of hours of teaching per week}}{\text{No. of rooms required X maximum period of uses of a room per week.}}$$

6. Total area to be built.

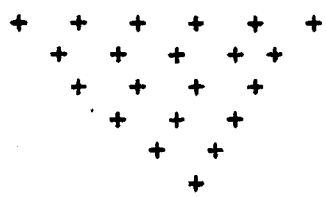

भाग-V - संलग्निकायें

संलग्निका-१

समय सारणी

१०-६-८५	११-३०---१३-००	स्वागत समारोह
	१४-३०---१६-००	आदिवासी शिक्षा- प्रतिभागियों के विचार
११-६-८५	११-००---१३-००	नई शिक्षा नीति : प्रमुख बिन्दु -शील चन्द नुना
	११-३०---१५-००	शिक्षा में समता -कुसुम प्रेमी
	१५-३०---१७-००	शिक्षा के विकास में आदिमजाति कल्याण विभाग की भूमिका -रमेश चंद्र सक्सेना
१२-६-८५	११-००---१२-००	संस्थागत योजना का आधार -एoबीoसक्सेना
	१२-००---१४-३०	संस्थागत नियोजन -मनमोहन कपूर
	१४-३०---१८-००	संस्थागत नियोजन : अभ्यास कार्य -मनमोहन कपूर -शील चन्द नुना
१३-६-८५	११-००---१७-००	संस्थागत नियोजन के लिये प्रारूप का निर्माण -मनमोहन कपूर -कुसुम प्रेमी -शील चन्द नुना -समस्त प्रतिभागी

१५-६-८५ एवं १५-६-८५		शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों का अवलोकन १-शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कन्सला २-शासकीय , आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला, कसगांव ३-शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, लोहारगुड़ा
१६-६-८५	११-००--१२-३०	संस्थागत नियोजन के लिये प्रारुप की विवेचना -शील चन्द नुना
	१३-००--१५-००	संस्थागत प्रायोजना : रुपरेखा का विकास -कुसुम प्रेमी -प्रतिभागी
१७-६-८५	११-००--१३-००	संस्थागत स्व-मूल्यांकन : महत्व व क्षेत्रों का चयन -कुसुम प्रेमी
	१३-३०--१७-००	संस्थागत मूल्यांकन-उपकरण का विकास -कुसुम प्रेमी -शील चन्द नुना
१८-६-८५	११-३०--१४-००	संस्थागत मूल्यांकन उपकरण के विकास की विवेचना -कुसुम प्रेमी -शील चन्द नुना
	११-३०--१४-००	प्रतिभागियों द्वारा संस्थागत मूल्यांकन के लिये प्रारुप का अंतिम रुप

१६-६-८५ ११-००--११-३० शाला पंचांग :
सिद्धान्त व प्रारूप
-कुसुम प्रेमी

१३-३०--१७-०० मूल्यांकन

२०-६-८५ स मा प न - स मा रो ह

संलग्नी क्र. 2

-:प्रतिभागियों की सूची :-

१- श्री बी०एल०तिलगाम
प्राचार्य,
आदर्श उ०मा०शा०
जशपुरनगर, जिला-रायगढ़

२-श्री [illegible]
व्याख्याता,
शा०बु०नि०प्रशि०संस्था
कांकेर, जिला- बस्तर

३-श्री बी०डी०उपाध्याय
उप-प्राचार्य,
शा०आदर्श उ०मा०शाला
फरसगांव-जिला-बस्तर

४-श्री डी०सी०उपरैती,
प्राचार्य,
शा०उ०मा०शाला-धनोरा
जिला- बस्तर

५-श्री डी०पी०तिवारी,
प्राचार्य
शास०कन्या परिसर
चौकी, जिला-राजनांदगांव

६-श्री डी०एस०उपाध्याय
प्राचार्य,
शा०उ०मा०शाला कटघोरा
जिला- बिलासपुर

७-श्री गोरे लाल दुबे
प्राचार्य
शा०उ०मा०शाला कुनकुरी
जिला- रायगढ़

८-श्री जी०एस०नरेन्द्र,
प्राचार्य,
शा०उ०मा०शाला भानुप्रतापपुर
जिला- बस्तर

९-श्री जी०एस०मिश्रा,
प्राचार्य,
शा०उ०मा०शाला नारायणपुर
जिला- बस्तर

१०-श्री जी०एन०पाठक,
व्याख्याता,
शा०उ०मा०शाला तामिया
जिला- छिन्दवाड़ा

११-श्री जी०पी०तिवारी
प्राचार्य,
शा०आदर्श उ०मा०शाला
मनेन्द्रगढ़, जिला-सरगुजा

१२-श्री हेमन्त कुमार गौतम
व्याख्याता,
आदर्श उ०मा०शाला [illegible]
सिकोरा-[illegible], जिला-मण्डला

१३-कु० इन्दिरा कुमारी राठौर
व्याख्याता
उ०मा०शाला अलीराजपुर (जावरा)

१४-श्री इन्द्रजीत अव्वल, प्राचार्य,
शा०उ०मा०शाला सागोर(धार)

१५-श्री जयन्ती लाल मेहता, प्राचार्य,
आदर्श उ०मा०शाला सैलाना (रतलाम)

१६-श्री जे०एन०सिंह, प्राचार्य,
शा०उ०मा०शाला बैहर (बालाघाट)

१७-श्री जगत सिंह मरकाम, प्राचार्य
आदर्श उ०मा०शा० डौण्डी (दुर्ग)

१८-श्री जे०पी०पटेल, व्याख्याता,
शा०उ०मा०शाला कोण्डागांव(बस्तर)

१९-श्री के०के०सक्सेना, उप-प्राचार्य
आदर्श उ०मा०शाला बड़वानी
(प०निमाड़)

२०-श्री के०एन०माहेश्वरी, प्राचार्य
आदर्श उ०मा०शा० सिंगौरा
(मण्डला)

२१-श्री के०डी०सिंह, प्राचार्य
शा०उ०मा०शाला, डौण्डी (दुर्ग)

२२-श्री के०एन०त्रिपाठी, प्राचार्य
शा०उ०मा०शाला कांकेर
जिला- बस्तर

२३-श्रीमती के०एल०वैतली, प्राचार्या
शास०कन्या उ०मा०शाला कांकेर
जिला- बस्तर

२४-श्री के०पी०अस्वा, व्याख्याता
शा०उ०मा०शाला सैलाना
(रतलाम)

२५-श्री एम०एस०ध्रुव, प्राचार्य
शा०उ०मा०शा०गरियाबंद
जिला- रायपुर

२६-श्री माखनसिंह उभान, प्राचार्य
शा०उ०मा०शाला कालपी
जिला- मण्डला

२७-श्री मोहन सिंह जैन, उ०श्रे०शिक्षक
शा०भारती उ०मा०शाला कांकेर
जिला- बस्तर

२८-श्री एन०आर०पिलई, प्राचार्य
शा०उ० मा०शा० केशकाल
जिला- बस्तर

२९-श्री एन०एल०सोनी, व्याख्याता
शा०बालक उ०मा० विद्यालय
सिरदेही-जिला-बैतूल

३०-श्री नरेन्द्र कुमार सक्सेना, व्याख्याता
शा०उ०मा०वि० पत्थलगांव (रायगढ़)

३१-श्रीमती एम०कुलकर्णी, व्याख्याता
महा०लक्ष्मीबाई शा०उ०मा०शा०
जगदलपुर (बस्तर

३२-श्री पी०के०साहू, प्राचार्य
शा०भारती उ०मा०शा० कांकेर
जिला- बस्तर

३३- प्रभा जोशी, प्राचार्य
कन्या शिक्षा परिसर कुक्षी (धार)

३४-श्री पी०आर०कौर, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि०चौकी (राजनांदगांव)

३५-श्री आर०एल० सूर्यवंशी, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० कोण्टा (बस्तर)

३६-श्री आर०के०तिवारी, प्राचार्य
शा०उ०मा०शाला डिण्डौरी (मण्डला)

३७-श्री आर०एस०सोम, व्याख्याता
शा०आदर्श उ०मा०शा० डौण्डी (दुर्ग)

३८-श्री आर०के०तिवारी, व्याख्याता
शा०नरहरदेव उ०मा०शा० कांकेर (बस्तर

३९-श्री रुप नारायण शुक्ल, प्राचार्य
शा०उ०मा०शाला कोरबा (बिलासपुर)

४०-श्री आर०एम०तिवारी, व्याख्याता
शा०उ०मा०शाला फरसगांव (बस्तर)

४१-श्री आर०एल०सुकतेल, व्याख्याता
शा०उ०मा०शाला बारसूर (बस्तर)

४२-श्री रामनाथ राम गुप्ता, व्याख्याता
शा०उ०मा०शाला नारायणपुर (बस्तर

४३-श्री राम चन्द्र कृष्णराव शास्त्री
प्राचार्य, शा०उ०मा०वि० सिरदेही (बैतूल)

४४-श्री आर०जी०एस०चौहान, प्राचार्य
शा०गुरुकुलवि० पेण्ड्रारोड (बिलास

४५-श्री रमेश चन्द्र शुक्ला, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० चारामा (बस्तर)

४६-श्री आर०डी०असराटी, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० [illegible]बा (छिंदवाड़ा)

४७-श्री रा[illegible]किशोर सिंह, व्याख्याता
शा०उ०वि०कुनकुरी (रायगढ़)

४८-श्री सुशील कुमार रावत
व्याख्याता, शा०उ०मा०वि०
[illegible]लाना (रतलाम)

४९-श्री एस०एस०भटनागर, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० नगरी (रायपुर)

५०-कु० एस०सेन, प्राचार्या, शा०क०उ०
मा०वि०-कोण्डागांव (बस्तर)

५१-श्री शशि गुप्ता, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० चौकी (राजनांदगांव)

५२-श्री श्याम लाल उपाध्याय
व्याख्याता, शा०उ०मा०वि०
बड़वानी (खरगोन)

५३-श्री एस०एन०श्रीवास्तव, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि०पत्थलगांव (रायगढ़)

५४-श्री एस०डी०वैद्य, प्राचार्य
शा०आदर्श उ०मा०वि०फरसगांव
जिला- बस्तर

५५-श्री कृष्ण रैना, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि०धामनोद (धार)

५६-श्री सतीश चन्द्र चतुर्वेदी
शा०उ०मा०वि०पेटलावद (झाबुआ)

५७-श्री एस०सी०सोवानी, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० मनावर (धार)

५८-श्री ठाकुर [illegible] [illegible], व्याख्याता
शा०उ०मा०वि० नगरी (रायपुर)

५९-श्री व्ही०डी०त्रिपाठी, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि० जशपुरनगर (रायगढ़)

६०-श्री विरेन्द्र कुमार चौबे, व्याख्याता
शा०उ०मा०वि० डिण्डौरी (मण्डला)

६१-श्री विनोद कुमार केशरवानी, व्याख्याता
शा०उ०मा०वि० कटघोरा (बिलासपुर)

६२- श्री व्ही०एस०वाकड़े, प्राचार्य शा०कन्या
उ०मा०वि० कोतमा (शहडोल)

६३-श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, व्याख्याता
शा०उ०मा०वि० कोरबा (बिलासपुर)

६४-श्री के०एल०राठौर, व्याख्याता,
शा०उ०मा०वि० काल्पी (मण्डला)

६५-श्री पी०तिवारी, प्राचार्य
शा०उ०मा०वि०सैलाना (रतलाम)

६६ -श्री के०के०[illegible],
प्राचार्य, बी०टी०आई०
कांकेर, जिला- बस्तर

६७-श्री एस०पी०मिश्रा,
व्याख्याता,
आदर्श उ०मा०शाला,
चुरहट, सीधी, म०प्र०

६८-श्री एस०के०निगम,
प्राचार्य, आदर्श उ०मा०शाला
चुरहट, सीधी, म०प्र०

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान , नई दिल्ली

संकाय

सत्य भूषण , निदेशक

आर. पी. सिंघल , कार्यकारी निदेशक

शैक्षिक प्रशासन एकक

एन. एम. भागिया , वरिष्ठ अध्येता एवं अध्यक्ष

एम. मुकोपाध्याय , वरिष्ठ अध्येता

के. जी. विरमानी , वरिष्ठ अध्येता

नलिनी जुनेजा , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

सी. मेहता , सह-अध्येता

के. सुधा राव , सह-अध्येता

शैक्षिक वित्तीय एकक

सी. वी. पद्मानाभन , वरिष्ठ अध्येता एवं अध्यक्ष

जे. बी. जी. तिलक , अध्येता

वाई. जोसफिन , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक योजना एकक

ब्रम्ह प्रकाश , वरिष्ठ अध्येता एवं अध्यक्ष

वाई. पी. अग्रवाल , सह-अध्येता

एन. वी. वर्गिस , सह-अध्येता

एल. एस. गनेश , सह-अध्येता

एम. श्रीवासन , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक नीति एकक

कुसुम प्रेमी, अध्येता एवं अध्यक्ष

के. सुजाता , सह -अध्येता

शील चन्द्र नुना , सह-अध्येता

इजलाल अनीस जैदी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्च शिक्षा एकक

जी. डी. शर्मा , वरिष्ठ अध्येता एवं अध्यक्ष

शक्ति अहमद , वरिष्ठ अध्येता

एम. एम. रहमान , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अन्तर्राष्ट्रीय एकक

उषा नायर , अध्येता एवं अध्यक्ष

अंजना मंगलागिरी , सह-अध्येता

जय श्री जलाली , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शाला एवं अनौपचारिक शिक्षा एकक

सी. एल. सपरा , वरिष्ठ अध्येता एवं अध्यक्ष

एस. एस. दुदानी , अध्येता

टी. के. डी. नायर , अध्येता

सुषमा भागिया , अध्येता

शबीर अहमद , अध्येता

एस. जुबेदा , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

रश्मि दीवान , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

सब नेशनल सिस्टम्स एवं डोकुमेन्टेशन एकक

एम. एम. कपूर , अध्येता एवं अध्यक्ष

बसन्त कालपांडे , अध्यता

आर. एस. शर्मा , सह-अध्येता

एन. डी. कोडपाल , डाकुमेन्टेशन अधिकारी

अरूण मेहता , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग एवं रिप्रोग्राफिक एकक

वी.मुरलीधर , कम्प्यूटर प्रोग्राम

कार्टोग्राफिक सैल

पी. एन. त्यागी , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रकाशन एकक

वी. सेल्वाराज , प्रकाशन अधिकारी

एस. वी. राय , संपादक (हिन्दी)

एम. एम. अजवानी , वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

पुस्तकालय

निर्मल मल्होत्रा , पुस्तकालयाध्यक्ष

दीपक माकोल , कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

मीना श्रीवास्तव , वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विजय कुमार पांडा , प्रशिक्षण सहायक

अनुसंधान एवं प्रायोजना स्टाफ

एस. एन. सराफ , वरिष्ठ प्रायोजना अध्येता

अब्दुल अजीज , प्रायोजना सह-अध्येता

डी. एच. श्रीकान्त , प्रायोजना सह-अध्येता

सैयद कुर्बान अली नक्वी , प्रयोजना सह-अध्येता

मंजु नरूला , प्रायोजना सहायक

सी. आर. के. मूर्ति , प्रायोजना सहायक

प्रमिला यादवे , प्रायोजना सह-अध्येता

प्रमिला मेनन , प्रायोजना सहायक

इफ्तिकार अहमद प्रायोजना सहायेक

सुनीता चुग , प्रायोजना सहायक

अनीता टप्लू प्रायोजना सहायक

अकबर अंसारी, प्रायोजना सह-अध्येता

राम राव, प्रायोजना सहायक

नगेन्द्र सिंह , प्रायोजना सहायक

कार्यालयीन व्यवस्था

आर. पी. सक्सेना , कुल सचिव

एस. सुन्दराजे. , वित्तीय अधिकारी

के. एल. दुआ , प्रशासनिक अधिकारी

जी. एस. भारद्वाज , अनुविभाग अधिकारी

टी. आर. ध्यानी , कार्यालय अधीक्षक

एम. एल. शर्मा, कार्यालय अधीक्षक

चैरिसन थोमस , लेखापाल

प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन

कृपया प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उपयुक्त स्थान को ✓ द्वारा चिन्हित कीजिये। यदि उनके सम्मुख कुछ लिखने की आवश्यकता हो तो स्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरों में लिखिये। अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपनी पहचान करना चाहते हैं तो दाईं ओर के ऊपरी सिरे पर लिखिये।

I-उद्देश्य:-

	किस सीमा तक उद्देश्यों की पूर्ति हुई			
	पूर्णतः	उत्तम	साधारण	बिल्कुल नहीं
१-प्राचार्यों को राष्ट्र विकास व नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के महत्व से अवगत कराना	------	------	------	------
२-प्राचार्यों को संस्थागत आयोजना एवं प्रबन्ध का शालाओं के सुचारु रूप से चलाने में उपयोगिता से परिचित कराना	------	------	------	------
३-प्राचार्यों को संस्थागत योजना की विभिन्न प्रक्रियाओं से परिचित कराना	------	------	------	------
४-प्राचार्यों को शाला के स्व-मूल्यांकन की विधि से परिचित कराना व स्व-मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में सहायता देना	------	------	------	------

---

II- विषय की उपयोगिता	-प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के अनुरूप	केवल सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक दृष्टि कम महत्वपूर्ण उपयोग। मूल्य
कार्यक्रम में निर्धारित विषयों के चुनाव के संबंध में आप क्या सोचते हैं	----------------	----------------

III- पेपर्स की गुणवत्तता

अच्छी	सामान्य	स्तर
------	------	--------------

IV- कार्यक्रम की अवधि

अल्प	उपयुक्त	अधिक लम्बी
--------	---------	-----------

V- समग्र रूप से चर्चा का स्तर

उच्च स्तर का	सामान्य	निम्न स्तर का
----------	--------	-----------

VI- प्रतिभागिता:-

	पर्याप्त	अपर्याप्त
(I) प्रत्येक कालावधि में बहस के लिये उपलब्ध समय	-------------	--------------

(II) प्रतिभागियों की सीमा	प्रत्येक ने उत्साह से भाग लिया	सन्तोषपूर्ण	कतिपय प्रतिभागियों द्वारा परिचर्चा में भाग लिया गया
	-----------	---------	----------

VII- पृष्ठभूमि परिलेखन । पठनीय सामग्री

पर्याप्त उपयोगी	सीमित उपयोगी	अनुपयोगी
-----------	-----------	--------

VIII- स्रोत शिक्षकों द्वारा दिये गये व्याख्यान

दक्षता पूर्ण तैयार किये गये	अच्छे	असंतोषजनक
____________	____	____________

IX- जो जानकारी दी गई वह–

(अ) आवश्यक एवं महत्वपूर्ण थी ____________ उपयोगी नहीं थी ____________

(ब) आलोचनात्म एवं विश्लेषणात्मक ____________ तथ्यों पर आधारित ____________

X - अन्य सुझाव-

यदि आपको ऐसे कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली ढंग से आयोजन संबंधी कोई सुझाव देना हो तो कृपया संक्षेप में उनकी सूची दीजि

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 4203
Date 19/5/88

NIEPA DC
D04203